भारत सरकार

बजट 2022-2023 की घोषणाओं का कार्यान्वयन

[बजट भाषण — 1 फरवरी, 2022]

1 फरवरी, 2023

वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग

बजट घोषणा, 2022-23 के कार्यान्वयन की वस्तु स्थिति

विषय-सूची

क्र. सं.	पैरा सं.	अनुक्रमणिका	पृष्ठ सं.
1	10	14 क्षेत्रों में उत्पादकता सम्बद्ध प्रोत्साहन	1
2	11	नई लोक उद्यम नीति	1
3	15	पीएम गतिशक्ति - आर्थिक वृद्धि और संधारणीय विकास	2
4	16	पीएम गतिशक्ति - राष्ट्रीय मास्टर योजना	3
5	17	पीएम गतिशक्ति रूपरेखा - एनआईपी में 7 इंजनों का सुयोजन	3
6	18	पीएम गतिशक्ति - सड़क परिवहन	3
7	19	पीएम गतिशक्ति - माल और लोगों की निर्बाध मल्टीमॉडल आवाजाही	4
8	20	बहु विध मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक पार्क	5
9	21	रेलवे - नये उत्पादों और कुशल लॉजिस्टिक्स सेवाओं का विकास	5
10	22	एक स्टेशन-एक उत्पाद	6
11	23	रेलवे में कवच योजना	7
12	24	पीएम गतिशक्ति - कार्गो टर्मिनल	8
13	25	रेलवे से कनेक्टिविटी सहित सामूहिक शहरी परिवहन	9
14	26	राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम	10
15	27	अवसंरचना परियोजना के लिए क्षमता निर्माण	11
16	28	कृषि में समावेशी विकास	12
17	29	रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती	12
18	30	2023 - अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष	13
19	31	तिलहनों के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने की योजना	15
20	32	किसानों को डिजिटल और हाइटेक सेवाएं प्रदान करना	16
21	33	किसान ड्रोन	16
22	34	कृषि विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में संशोधन	17
23	35	नाबार्ड के माध्यम से मिश्रित पूंजी सहित निधि	17
24	36	केन-बेतवा परियोजना और अन्य नदी जोड़ो परियोजनाएं	18
25	37	नदियों को जोड़ना	19

क्र. सं.	पैरा सं.	अनुक्रमणिका	पृष्ठ सं.
26	38	खाद्य प्रसंस्करण	20
27	39	उद्यम, ई-श्रम, एनसीएस और असीम पोर्टल्स को आपस में जोड़ना	20
28	40	ईसीएलजीएस को मार्च, 2023 तक बढ़ाना	22
29	41	सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी न्यास (सीजीटीएमएसई) स्कीम' को पुनर्जीवित करना	23
30	42	एमएसएमई निष्पादन (आरएएमपी) प्रोग्राम बनाना और इसमें तेजी लाना	23
31	43	कौशल कार्यक्रम का पुनर्अभिमुखीकरण	24
32	44	कौशल एवं आजीविका के लिए डिजिटल इकोसिस्टम डेश-स्टेक ई-पोर्टल	25
33	45	ड्रोन शक्ति की सुविधा प्रदान करने हेतु स्टार्टअप को बढ़ावा देना	26
34	46	गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को सर्वसुलभ करना	27
35	47	व्यावसायिक पाठ्यक्रम में चिंतन कौशल और रचनात्मकता को बढ़ावा देना	27
36	48	सभी बोली जाने वाली भाषाओं में ई-कन्टेंट	28
37	49	गुणवत्तापूर्ण ई-कन्टेंट तैयार करने हेतु तंत्र की स्थापना	28
38	50	डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना	29
39	51	आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन	30
40	52	नेशनल टेली मेंटल हैल्थ प्रोग्राम	31
41	53	मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0	31
42	54	हर घर, नल से जल	32
43	55	सभी के लिए आवास	32
44	56	मध्यम वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए किफायती आवास को बढ़ावा देना	34
45	57	पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री विकास पहल, पीएम-डिवाईन योजना	34
46	58	आकांक्षी विकास खंड कार्यक्रम	37
47	59	जीवंत ग्राम कार्यक्रम	37
48	60	किसी भी समय- कहीं भी डाकघर बचत	38
49	61	डिजिटल बैंकिंग	39
50	62	डिजिटल भुगतान	39
51	63	कारोबारी सुगमता	40

क्र. सं.	पैरा सं.	अनुक्रमणिका	पृष्ठ सं.
52	64	कारोबारी सुगमता 2.0 एवं जीवनयापन की सुगमता	40
53	65	अतिव्याप्त समनुपालनों का मानकीकरण और उन्हें हटाना	41
54	66	हरित (पर्यावरण) स्वीकृति	42
55	67	ई-पासपोर्ट	42
56	68	शहरी विकास	43
57	69	शहरी क्षेत्र की नीतियों, क्षमता निर्माण, योजना, कार्यान्वयन और शासन पर उच्चस्तरीय समिति	44
58	70	राज्यों को शहरी नियोजन में सहायता	44
59	71	शहरी नियोजन और डिजाइन के लिए उत्कृष्टता केंद्र	44
60	72	स्वच्छ और संधारणीय आवागमन	46
61	73	बैट्री अदला-बदली नीति	46
62	74	भू-अभिलेख प्रबंधन	47
63	75	राष्ट्रीय सामान्य दस्तावेज़ पंजीकरण प्रणाली	47
64	76	दिवालियापन और शोधन अक्षमता संहिता	48
65	77	त्वरित कारपोरेट निष्क्रमण	48
66	78	सरकारी प्रापण	48
67	79	एंड-टु-एंड ऑनलाइन ई-बिल प्रणाली	49
68	80	सरकारी प्रापणों में बैंक गारंटी के विकल्प के रूप में प्रतिभूत बांड का उपयोग	49
69	81	एवीजीसी प्रोत्साहन कार्यबल	49
70	82	5जी स्पेक्ट्रम नीलामी	50
71	83	5जी के लिए डिजाइन आधारित विनिर्माण योजना	50
72	84	ग्रामीण और दूरवर्ती क्षेत्रों में किफायती ब्रॉडबैंड और मोबाइल सेवाएं	50
73	85	भारत नेट के तहत ऑप्टिकल फाइबर बिछाना	51
74	86	निर्यात संवर्धन	51
75	87	रक्षा में आत्मनिर्भरता	52
76	88	रक्षा अनुसंधान और विकास कार्य को खोला जाना	52
77	89	उदीयमान अवसर- कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जियोस्पेशियल प्रणाली, आदि	53
78	90	उदीयमान अवसर-अनुसमर्थक नीतियां, सहज विनियम, आदि	53

क्र. सं.	पैरा सं.	अनुक्रमणिका	पृष्ठ सं.
79	91	ऊर्जा परिवर्तन और जलवायुपरक कार्य	56
80	93	सौर ऊर्जा	56
81	94	चक्रीय अर्थव्यवस्था	57
82	95	कार्बन निष्प्रभावी अर्थव्यवस्था में संक्रमण	63
83	96	ऊर्जा दक्षता एवं बचत उपायों को बढ़ावा देना	63
84	97	कोयला गैसीकरण एवं परिवर्तन परियोजनाएं	64
85	98	कृषि एवं निजी वानिकी को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत एवं विधायी परिवर्तन	64
86	103	ग्रीन बांड	65
87	104	गिफ्ट सिटी में विदेशी विश्वविद्यालयों को अनुमति देना	65
88	105	गिफ्ट सिटी में अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम केंद्र	66
89	106	गिफ्ट सिटी में संधारणीय एवं जलवायु वित्त हेतु वैश्विक पूंजी के लिए सेवाओं की व्यवस्था करना	66
90	107	अवसंरचना की स्थिति - डाटा सेंटर और ऊर्जा स्टोरेज प्रणालियां	67
91	108	उद्यम पूंजी और निजी इक्विटी निवेश	67
92	109	सम्मिश्रित वित्त	68
93	110	अवसंरचनात्मक परियोजनाओं की वित्तीय अर्धक्षमता	68
94	111	डिजिटल रुपया	69
95	113	निवेश उत्प्रेरित करने के लिए राज्यों की सहायता के लिए ₹1 लाख करोड़ का आवंटन	70
96	114	पीएम गतिशक्ति और राज्यों के अन्य उत्पादक पूंजी निवेश के लिए आवंटन	72
97	115	2022-23 में राज्यों को जीएसडीपी के 4 प्रतिशत तक के राजकोषीय घाटे की अनुमति देना	75

बजट घोषणा, 2022-23 के कार्यान्वयन की वस्तु स्थिति

क्र. सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
1.	10	आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को हासिल करने के लिए 14 क्षेत्रों में उत्पादकता सम्बद्ध प्रोत्साहन को शानदार रिस्पांस मिला है, इनमें अगले 5 वर्ष के दौरान 60 लाख नई नौकरियां सृजित करने तथा ₹30 लाख करोड़ के उत्पादन की अंत:शक्ति है।	**उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग** • लगभग ₹2.74 लाख करोड़ के अनुमानित निवेश के साथ सभी 14 योजनाओं के तहत 717 आवेदन पहले ही अनुमोदित किए जा चुके हैं। • 12 योजनाओं में ₹47,500 करोड़ से अधिक के निवेश की सूचना मिली है। • 12 योजनाओं में करीब 4 लाख लोगों को रोजगार मिला है। • 11 योजनाओं में ₹3.9 लाख करोड़ से अधिक का उत्पादन/वृद्धिशील बिक्री होने की सूचना मिली है।
2.	11	नई लोक उद्यम नीति के क्रियान्वयन की दिशा में एयर इंडिया के स्वामित्व के महत्वपूर्ण अंतरण का कार्य पूरा हो गया है। एनआईएनएल (नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड) के लिए महत्वपूर्ण भागीदार का चयन कर लिया गया है। एलआईसी के लोक निर्गम के जल्द आने की संभावना है। 2022-23 में अन्य के संबंध में भी प्रक्रिया चल रही है।	**निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग** • एयर इंडिया का निजीकरण पूरा हो गया है। • एनआईएनएल का लेन-देन 04.07.2022 को संयुक्त उद्यम भागीदारों (4 सीपीएसई और ओडिशा सरकार के 2 पीएसयू) के 93.71% शेयरों के महत्वपूर्ण खरीदार, मैसर्स टाटा स्टील लांग प्रोडक्ट्स लिमिटेड को अंतरण के साथ पूरा हुआ। • एलआईसी को 17.05.2022 को स्टॉक एक्सचेंजों में सफलतापूर्वक सूचीबद्ध किया गया था और सरकार को बिक्री से ₹20,516.12 करोड़ की आय प्राप्त हुई। • बीईएमएल लिमिटेड, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कॉनकॉर और आईडीबीआई बैंक से संबंधित लेन-देन पर कार्रवाई चल रही है।

क्र. सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
3.	15	**पीएम गतिशक्ति** पीएम गतिशक्ति आर्थिक वृद्धि और संधारणीय विकास के लिए एक परिवर्तनकारी उपागम है। यह उपागम सात इंजनों, नामत: सड़क, रेलवे, हवाई अड्डा, पत्तन, सामूहिक परिवहन, जलमार्ग और लॉजिस्टिक्स अवसंरचना, से प्रेरित होता है। ये सातों इंजन एक साथ मिलकर अर्थव्यवस्था को आगे खींचेंगे इन इंजनों को ऊर्जा पारेषण, आईटी संचार, भारी मात्रा में जल एवं सीवरोन, एवं सामाजिक अवसंरचना की अनुपूरक भूमिकाओं से मदद मिलती है अंत में, इस उपागम को स्वच्छ ऊर्जा और सबका प्रयास - केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और निजी क्षेत्रों के सामूहिक प्रयास - से शक्ति मिलती है जिसके परिणामस्वरूप सभी के लिए, विशेष तौर पर युवा वर्ग के लिए बड़ी संख्या में नौकरियों और उद्यमिता अवसर उत्पन्न हुए हैं।	**उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग** • सभी संबंधित मंत्रालयों/विभागों/राज्य सरकारों और अन्य हितधारकों को साथ लाया गया है। • मास्टर पोर्टल - पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (एनएमपी) तैयार किया गया है। • डाटा अपलोडिंग/अपडेशन और प्लानिंग के लिए केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों के अलग-अलग पोर्टलों को तैयार करना जारी है। • नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप (एनपीजी) यानी परियोजना जांच के लिए संस्थागत व्यवस्था पूरी तरह कार्यात्मक है • राज्य/संघ राज्य-क्षेत्रों को साथ लिया गया राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में ऑनलाइन प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण पूरा हो गया है। • प्रत्यक्ष दौरों के दौरान 821 राज्य/ संघ राज्य क्षेत्रों के अधिकारियों को पीएम गतिशक्ति राज्य मास्टरप्लान पर बीआईएसएजी-एन द्वारा प्रशिक्षित और संवेदनशील बनाया गया। • राज्य/संघ राज्य-क्षेत्रों के स्तर पर संस्थागत व्यवस्था:- सभी 36 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में ईजीओएस/एसएलसीसी का गठन किया गया है, 34 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में एनपीजी का गठन किया गया है, 34 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में टीएसयू का गठन किया गया है। व्यय विभाग ने राज्यों को विशेष सहायता योजना पर दिशानिर्देश जारी किए हैं। इन संसाधनों का उपयोग करने के लिए राज्यों को संवेदनशील बनाया जा रहा है।

क्र. सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
4.	16	**पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर योजना** पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर योजना के कार्यक्षेत्र में आर्थिक रूपांतरण के सात इंजन, निर्बाध बहु विध कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक्स दक्षता समाहित होंगे। इसमें गतिशक्ति मास्टर योजना के अनुसार राज्य सरकारों द्वारा तैयार अवसंरचना भी शामिल होंगी। इसमें प्लानिंग, नवोन्मेषी तरीकों के सहित वित्तपोषण, प्रौद्योगिकी के उपयोग और अधिक तेजी से क्रियान्वयन पर ध्यान केन्द्रित किया जाएगा।	**उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग** • मास्टर पोर्टल - पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (एनएमपी) - तैयार किया गया है। • डाटा अपलोडिंग/अपडेशन और प्लानिंग के लिए केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों के अलग-अलग पोर्टल्स को तैयार किए जाने पर कार्रवाई चल रही है। • नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप (एनपीजी) यानी परियोजना की जांच के लिए संस्थागत व्यवस्था पूरी तरह कार्यात्मक है
5.	17	राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन में इन 7 इंजनों से संबंधित परियोजनाएं पीएम गतिशक्ति फ्रेमवर्क के साथ जोड़ी जाएंगी। मास्टर प्लान की खासियत विश्वस्तरीय आधुनिक अवसंरचना और लोगों और वस्तुओं दोनों के मूवमेंट के विभिन्न माध्यमों, और परियोजनाओं के लोकेशन के बीच संभारतंत्रीय सहक्रियात्मक संबंध कायम करना है। इससे उत्पादकता को बढ़ाने, आर्थिक वृद्दि एवं विकास में तेजी लाने में मदद मिलेगी।	**उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग** • पीएम गतिशक्ति एनएमपी पर एनआईपी परियोजनाओं के मानचित्रण (मैपिंग) की कवायद शुरू हो गई है और यह जारी है। **आर्थिक कार्य विभाग** • एनआईपी के तहत लगभग 4800 परियोजनाएं पीएम गतिशक्ति के 7 इंजनों अर्थात् सड़कों, रेलवे, हवाई अड्डों, पत्तनों, सामूहिक परिवहन, जलमार्गों और लॉजिस्टिक अवसंरचना के अंतर्गत आती हैं। • पीएम गतिशक्ति एनएमपी में दी गई 441 एनआईपी परियोजनाओं को एनएमपी प्लेटफॉर्म पर मानचित्रित किया गया है।
6.	18	**सड़क परिवहन** वर्ष 2022-23 में एक्सप्रेस मार्गों के लिए पीएम गतिशक्ति मास्टर योजना का प्रतिपादन किया जाएगा ताकि लोगों और वस्तुओं का तीव्र मूवमेंट संभव हो सके। वर्ष 2022-23 में राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में 25,000 कि.मी. जोड़े जाएंगे। वित्तपोषण के नवोन्मेषी तरीकों से ₹20,000 करोड़ जुटाए जाएंगे ताकि	**सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय** • मंत्रालय ने अन्य बातों के साथ-साथ एनएच ग्रिड की लंबाई पर समुचित जोर देते हुए राज्य सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) के रूप में घोषित करने के लिए संशोधित दिशानिर्देश प्रतिपादित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। उसे अंतिम रूप दिया जाना बाकी है। नीति को अंतिम रूप देने और पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के साथ

क्र. सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
		सार्वजनिक संसाधनों का सम्पूरण किया जा सके।	सहक्रियात्मक संबंध तालमेल सुनिश्चित करने के अध्यधीन नए राष्ट्रीय राजमार्गों को अधिसूचित किया जाना है। • परियोजना के विकास को बनाए रखने के लिए, वर्ष 2022-23 के दौरान टीओटी और इनवीआईटी के माध्यम से ₹20,000 करोड़ का मुद्रीकरण करने की योजना है। 2022-23 के दौरान अभिनव वित्तपोषण विधियों के माध्यम से अब तक लगभग ₹14,268 करोड़ की वसूली की जा चुकी है।
7.	19	**वस्तुओं और लोगों की निर्बाध मल्टीमॉडल आवाजाही** सभी मोड (माध्यम) आपरेटरों के बीच आंकड़ों के आदान-प्रदान को एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (एपीआई) के लिए अभिकल्पित, एकीकृत लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफार्म (यूएलआईपी) पर लाया जाएगा। इससे विभिन्न माध्यमों के जरिए वस्तुओं का दक्षतापूर्वक मूवमेंट संभव होगा, लॉजिस्टिक्स की लागत और समय कम होगी, यथासमय वस्तु सूची प्रबंधन में और उबाऊ दस्तावेजीकरण को दूर करने में मदद मिलेगी। सबसे महत्वपूर्ण, इससे सभी हितधारकों को रीयल टाइम सूचना उपलब्ध होगी, और अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धापन में सुधार होगा। यात्रियों की निर्विध्न यात्रा आयोजित करने के लिए ओपन सोर्स मोबिलिटी स्टैक की सुविधा भी मिलेगी।	**उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग** • लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में निर्बाध डिजिटल एकीकरण के लिए एकीकृत लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म (यूलिप) विकसित किया गया है। • संगतता मूल्यांकन के बाद, इसने 102 एपीआई के माध्यम से विभिन्न मंत्रालयों/एजेंसियों, (डीजीएफटी, रेल मंत्रालय, एमओआरटीएच, एमओसीए, एनआईसीडीसी, सीमा-शुल्क, भारतीय पत्तन प्राधिकरण, टर्मिनल ऑपरेटिंग सिस्टम, एमओपीएसडब्ल्यू) की 29 डिजिटल प्रणालियों को एकीकृत किया है। • नीति आयोग ओपन सोर्स मोबिलिटी स्टैक से संबंधित कार्रवाई में शामिल है।

क्र. सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
8.	20	**मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क** पीपीपी पद्धति के माध्यम से चार स्थानों पर मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क के क्रियान्वयन के लिए वर्ष 2022-23 में संविदाएं दी जाएंगी।	**सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय** • चेन्नई में मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क (एमएमएलपी) के विकास के लिए अधिनिर्णय पत्र 11.11.2022 को जारी कर दिया गया है। • एमएमएलपी बेंगलुरू के विकास के लिए बोलियां प्राप्त हुई हैं और उनका मूल्यांकन किया जा रहा है। • वर्धा (नागपुर) और इंदौर में एमएमएलपी के लिए बोलियां आमंत्रित की गई हैं। • एमएमएलपी बैंगलोर, वर्धा (नागपुर) और इंदौर के लिए लक्षित अधिनिर्णय मार्च 2023 है।
9.	21	**रेलवे** रेलवे पार्सलों की निर्विघ्न आवाजाही की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए डाक और रेलवे नेटवर्क को जोड़ने में अग्रमी भूमिका निभाने के साथ-साथ रेलवे छोटे किसानों तथा लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए नए उत्पाद और कार्यकुशल लॉजिस्टिक्स सेवाएं विकसित करेगा।	**रेल मंत्रालय** • भारतीय डाक और भारतीय रेलवे का एक 'संयुक्त पार्सल उत्पाद' (जेपीपी) विकसित किया गया है ताकि सम्पूर्ण पार्सल हैंडलिंग समाधान यानी प्रेषक के परिसर से प्राप्त करना, बुकिंग करना और प्राप्तकर्ता को डोर-स्टेप डिलीवरी प्रदान करना उपलब्ध कराकर बिजनेस-टु-बिजनेस एवं बिजनेस-टु-कस्टमर मार्केट का दोहन किया जा सके। इसके लिए प्रारंभिक (फर्स्ट-माइल) और आखिरी (लास्ट-माइल) कनेक्टिविटी डाक विभाग द्वारा और भारतीय रेलवे द्वारा स्टेशन से स्टेशन तक की मध्यवर्ती कनेक्टिविटी प्रदान की गई है। • भारतीय रेलवे और भारतीय डाक द्वारा जेपीपी ताप्ती गंगा एक्सप्रेस में सूरत और वाराणसी के बीच, वैनगंगा एक्सप्रेस में बैंगलोर और विशाखापत्तनम के बीच और प्रशांति एक्सप्रेस ट्रेन में यशवंतपुर और रायपुर के बीच शुरू हुई है। • मंडलों के मंडल रेल प्रबंधकों को सवारी ढोने

क्र. सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
			वाली किसी भी अनुसूचित किसी भी ट्रेन के सीटिंग-सह-लगेज रैक में जगह निर्धारित करके जेपीपी की संकल्पना (प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट) को आगे बढ़ाने का अधिकार दिया गया है। • भारतीय रेलवे और भारतीय डाक के जेपीपी के तहत सूरत और नारायणपुर अनंत के बीच वाराणसी के रास्ते एक पूर्ण ट्रेन सेवा भी 20.10.2022 को (प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट) के तहत दोनों दिशाओं में साप्ताहिक समय-सारणी सेवा के रूप में शुरू की गई है।
10.	22	स्थानीय व्यवसाय तथा आपूर्ति श्रृंखलाओं की सहायता करने के लिए 'एक स्थान-एक उत्पाद' की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया जाएगा।	**रेल मंत्रालय** • एक स्टेशन एक उत्पाद (ओएसओपी)) योजना की प्रायोगिक परियोजना 25.03.2022 से शुरू की गयी थी और इसे अब तक 535 स्टेशनों/576 इकाइयों में क्रमिक रूप से लागू किया गया है। प्रायोगिक परियोजनाओं से प्राप्त फीडबैक के आधार पर ओएसओपी नीति 20.05.2022 को जारी की गई है। • डिजाइन विशिष्टता दस्तावेज, मुद्रण योग्य बहुभाषी बैनर और ओएसओपी स्टैटिक आउटलेट और विशिष्ट लुक वाली मोबाइल ट्रॉलियों के लिए मुद्रण-योग्य साइड पैनल डिजाइन विशिष्ट रूप, ओएसओपी के फील एवं और लोगो राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, अहमदाबाद द्वारा तैयार किए गए हैं और कार्यान्वयन के लिए क्षेत्रीय रेलवे में परिचालित किए गए हैं। • 750 स्टेशनों पर 777 ओएसओपी आउटलेट का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है।

क्र. सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
11.	23	आत्मनिर्भर भारत के भाग के रूप में वर्ष 2022-23 में 2000 कि.मी. के नेटवर्क को कवच के अंतर्गत लाया जाएगा जो सुरक्षा और क्षमता-वर्धन के लिए विश्व स्तरीय स्वदेशी प्रौद्योगिकी है। अगले तीन वर्षों के दौरान नई पीढ़ी की चार सौ वंदे भारत रेलगाड़ियों का विकास और विनिर्माण किया जाएगा जो बेहतर ऊर्जा दक्षता और बेहतर राइडिंग अनुभव से युक्त होंगी।	**रेल मंत्रालय** **कवच** • दक्षिण मध्य रेलवे पर चल रहे कार्यों में 1465 आरकेएम में से 1455 रूट किलोमीटर (आरकेएम) पर कवच चालू कर दिया गया है। शेष में भी चालू वित्तीय वर्ष में पूरा कर लिया जाएगा। • दिल्ली-मुंबई और दिल्ली-हावड़ा (~3000 आरकेएम) के एचडीएन रूट पर, निविदाएं आमंत्रित की गईं थी और ~2854 आरकेएम के लिए इनमें से 9 निविदाओं को अंतिम रूप दे दिया गया है। **वंदे भारत:** • वर्तमान में नई दिल्ली-वाराणसी, नई दिल्ली-श्री माता वैष्णो देवी कटरा, मुंबई सेंट्रल-गांधी नगर, नई दिल्ली-अंब अंदौरा, चेन्नई-मैसूर और नागपुर-बिलासपुर रूट के बीच छह वंदे भारत रेलगाड़ियां चल रही हैं। • अगस्त 2023 तक 75 वंदे भारत रैक निकालने की योजना है। ये ट्रेनें प्रमुख शहरों को कवर करते हुए के कोने-कोने को कवर करेंगी। • उपरोक्त के अलावा, भारतीय रेलवे ने विभिन्न प्रौद्योगिकियों की नई पीढ़ी की 400 ऊर्जा दक्ष वंदे भारत ट्रेनों (स्लीपर संस्करण) को चरणबद्ध तरीके से बनाने की योजना बनाई है, जिसके लिए निविदाएं जारी की गई हैं।

क्र. सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
12.	24	अगले तीन वर्षों के दौरान मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स सुविधाओं के लिए एक सौ पीएम गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल तैयार किए जाएंगे।	**रेल मंत्रालय** • रेल कार्गो को संभालने के लिए अतिरिक्त टर्मिनलों के विकास में उद्योग से निवेश को बढ़ावा देने के लिए, 15.12.2021 को एक नई 'गतिशक्ति मल्टी-मॉडल कार्गो टर्मिनल (जीसीटी)' नीति शुरू की गई है। • गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल (जीसीटी) प्राइवेट प्लेयरों द्वारा विकसित किए जा रहे हैं, और इसे गैर-रेलवे भूमि पर या पूरी तरह से/ आंशिक रूप से रेलवे भूमि पर विकसित किया जा सकता है। अगले तीन वित्तीय वर्षों के भीतर 100 गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल चालू करने का लक्ष्य रखा गया है। नए जीसीटी के विकास के लिए स्थानों की पहचान करने के लिए रेलवे को निर्देश जारी किए गए हैं। जीसीटी के लिए स्थान उद्योग से मांग और कार्गो यातायात की संभावना के आधार पर तय किए जा रहे हैं। • अब तक, 31.10.2022 तक 21 जीसीटी चालू किए जा चुके हैं तथा लगभग 96 और स्थानों को जीसीटी के विकास के लिए अनंतिम रूप से अभिचिह्नित किया गया है। • इसके अलावा, प्रस्तावों को ऑनलाइन माध्यम से अंतिम रूप देने के लिए फ्रेट बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल पर जीसीटी लिंक 15.02.2022 से सक्रिय कर दिया गया है। जीसीटी के लिए सभी नए प्रस्ताव केवल ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ही प्राप्त किए जाएंगे। 74 नए प्रस्तावों को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई है।

क्र. सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
13.	25	**रेलवे से कनेक्टिविटी सहित सामूहिक शहरी परिवहन** बड़े पैमाने पर उपयुक्त प्रकार की मेट्रो प्रणालियों के निर्माण के लिए वित्तपोषण और तीव्र क्रियान्वयन के नवोन्नेषी तरीकों को प्रोत्साहित किया जाएगा। सामूहिक शहरी परिवहन और रेलवे स्टेशनों के बीच मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी के लिए प्राथमिकता के आधार पर सुविधा प्रदान की जाएगी। मेट्रो प्रणालियों के डिजाइन को, जिनमें सिविल संरचनाएं भी आती हैं, भारतीय परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुसार पुनअभिमुखीकृत और मानकीकृत किया जाएगा।	**आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय** • मेट्रो रेल परियोजनाओं के वित्तपोषण और तेजी से कार्यान्वयन के अभिनव तरीकों की पहचान करने के लिए, विभिन्न मेट्रो रेल कंपनियों, नीति आयोग तथा आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) के प्रतिनिधियों वाली एक समिति का गठन दिनांक 05.05.2022 के कार्यालय ज्ञापन के तहत किया गया है। • मल्टी मोडल कनेक्टिविटी के लिए दिनांक 22.05.2022 के आदेश द्वारा क्रियाशील मेट्रो रेल नेटवर्कों वाले विभिन्न शहरों के लिए संबंधित मुख्य सचिवों की अध्यक्षता में अलग-अलग समितियों का गठन किया गया है। • सामूहिक शहरी परिवहन और रेलवे स्टेशनों के बीच वित्तपोषण और मल्टी-मोडल कनेक्टिविटी के अभिनव तरीकों पर देश भर में वेबिनार आयोजित किए गए हैं। • सिविल संरचना सहित मेट्रो प्रणालियों का डिजाइन, भारतीय स्थितियों और जरूरतों के लिए पुनर्अभिमुखीकृत और मानकीकृत किया जाएगा। रोलिंग स्टॉक, ट्रैक्शन, सिविल कार्य और इलेक्ट्रिकल्स के लिए आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा जारी मानक विनिर्देशों की समीक्षा के लिए दिनांक 11.05.2022 के आदेश के तहत विभिन्न मेट्रो रेल निगमों और आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के प्रतिनिधियों वाली समितियों का गठन किया गया है।

क्र. सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
			रेल मंत्रालय • रेल मंत्रालय सामूहिक शहरी परिवहन और रेलवे स्टेशनों के बीच मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी की सुविधा के लिए मेट्रो प्रणाली की डिजाइनिंग सहित वित्तपोषण और तेजी से कार्यान्वयन के अभिनव तरीकों को अपनाने के लिए सक्रिय रूप से प्रोत्साहन दे रहा है। • नई दिल्ली, दिल्ली मेन, आनंद विहार, बैंगलोर सिटी, यशवंतपुर, घाटकोपर, बैय्यापनहाली, गिंडी, सेंट थॉमस माउंट, एग्मोर, पुरात्ची थलाइवर डॉ. एम.जी. रामचंद्रन सेंट्रल रेलवे स्टेशन, आदि जैसे अनेक स्टेशनों पर मल्टी-मॉडल कनेक्विटी मौजूद है। • रानी कमलापति, बिजवासन, अहमदाबाद, अंधेरी, नागपुर, सिकंदराबाद, चंडीगढ़, जयपुर, उदयपुर और साबरमती रेलवे स्टेशनों पर मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए विभिन्न चरणों में काम चल रहा है।
14.	26	**पर्वतमालाः राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम** दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में परंपरागत सड़कों के अधिमानी पारिस्थितिक रूप से संधारणीय विकल्प के रूप में राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम पीपीपी मोड पर चलाया जाएगा। इसका उद्देश्य यात्रियों के लिए कनेक्टिविटी और सुविधा में सुधार लाना है और पर्यटन को बढ़ावा देना है। इसमें भीड़-भाड़ वाले ऐसे शहरी क्षेत्रों को भी कवर किया जाएगा जहां परंपरागत सामूहिक परिवहन व्यवस्था	**सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय** • रोपवे विकास योजना के भाग के रूप में, 14.10.2022 को वाराणसी में 3.85 किलोमीटर लंबी रोपवे परियोजना के लिए बोलियां प्राप्त हो गई हैं और मूल्यांकन कार्य चल रहा है। • इसके अतिरिक्त बोली प्रक्रिया चार रोपवे परियोजनाओं यानी 9.70 किमी लंबी केदारनाथ, 12.6 किमी लंबी हेमकुंड साहिब, 2 किमी लंबी महाकालेश्वर मंदिर (उज्जैन) और 2.87 किमी लंबी बिजली महादेव मंदिर, के लिए चल रही हैं।

क्र. सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
		संभव नहीं है। वर्ष 2022-23 में 08 रोपवे परियोजनाओं, जिनकी कुल लंबाई 60 किमी. होगी, के लिए ठेके दिए जाएंगे।	• 14 परियोजनाओं के लिए व्यवहार्यता अध्ययन प्रगति पर है। रोपवे के विकास के लिए विभिन्न राज्यों से 256 परियोजनाओं के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। 40 परियोजनाओं के लिए व्यवहार्यता-पूर्व अध्ययन प्रगति पर है। शेष परियोजनाओं के लिए व्यवहार्यता-पूर्व अध्ययन श्रृंखलाओं में शुरू किए जाएंगे।
15.	27	**अवसंरचना परियोजना के लिए क्षमता निर्माण** क्षमता निर्माण आयोग की तकनीकी सहायता से केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और उनकी अवसंरचनात्मक एजेंसियों के कौशल का उन्नयन किया जाएगा। इससे पीएम गतिशक्ति अवसंरचना परियोजनाओं के नियोजन, आकल्पन, वित्तपोषण (नवोन्मेषी तरीकों के साथ) और क्रियान्वयन प्रबंधन में सुधार आएगा।	**उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग** • क्षमता निर्माण आयोग के सहयोग से पीएम गतिशक्ति पर प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किए गए और आईजीओटी प्लेटफॉर्म पर डाले गए। **आर्थिक कार्य विभाग** • अब तक, आर्थिक कार्य विभाग द्वारा आईआईएम, आईएसबी, एजेएनआईएफएम, विश्व बैंक, आईआईबीएफ आदि जैसे शीर्ष संस्थानों के सहयोग से अट्ठाईस प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। कुल 865 अधिकारियों में 22 केंद्रीय मंत्रालयों और 13 सीपीएसई के 529 अधिकारी और 29 राज्य सरकारों से 336 अधिकारियों ने इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में कुल मिलाकर 865 अधिकारियों ने भाग लिया है जिनमें से 22 केन्द्रीय मंत्रालयों और 13 केन्द्रीय लोक उद्यमों के 529 अधिकारी तथा 29 राज्य सरकार के 336 अधिकारी शामिल थे। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए अब तक 1400 से अधिक नामांकन प्राप्त हुए हैं।

क्र. सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
16.	28	**समावेशी विकास** **कृषि** रबी 2021-22 में गेहूं की खरीद और खरीफ 2021-22 में धान की अनुमानित खरीद में 163 लाख किसानों से 1208 लाख मीट्रिक टन गेहुं एवं धान खरीदा जाएगा, जिनमें उनके खातों में ₹2.37 लाख करोड़ एमएसपी मूल्य का प्रत्यक्ष भुगतान किया जाएगा।	**खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग** • रबी 2021-22 और खरीफ 2021-22 में 31.08.2022 तक 1208 एलएमटी के लक्ष्य की तुलना में 1314.66 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) गेहूं और धान की खरीद की गई है। 163 लाख के लक्ष्य की तुलना में 179.85 लाख किसानों को लाभान्वित किया गया है। ₹2.37 लाख करोड़ के लक्ष्य की तुलना में ₹2.58 लाख करोड़ के एमएसपी मूल्य का प्रत्यक्ष भुगतान किया गया है।
17.	29	देशभर में रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा जिसके प्रथम चरण में गंगा नदी के साथ पांच किमी. चौड़े कोरिडोर में किसानों की जमीनों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।	**कृषि एवं किसान कल्याण विभाग** • पीकेवीवाई की भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति (बीपीकेपी) को बढ़ाया गया है और इसे एक अलग योजना के रूप में प्रस्तावित किया गया है। प्राकृतिक खेती के राष्ट्रीय मिशन (एनएमएनएफ) पर मंत्रिमंडल नोट को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया चल रही है। • चालू वित्त वर्ष 2022-23 में प्राकृतिक खेती के लिए केवीके को ₹11.94 करोड़ की राशि दी गई है। • चार राज्यों के लिए वार्षिक कार्य योजना के तहत गंगा नदी के किनारे स्थित 1,48,110 हेक्टेयर क्षेत्र को मंजूरी दी गई है। **कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग** • 16 राज्यों में 20 केंद्रों पर प्राकृतिक खेती पर बहु-स्थानिक परीक्षण किए गए। लोबिया-मक्का-सौंफ-फूलगोभी/पत्तागोभी फसल प्रणाली के लिए गुजरात और राजस्थान के प्रथम वर्ष के आंकड़ों में संपूर्ण प्राकृतिक खेती के तहत 12,544 किलोग्राम/हेक्टेयर/वर्ष की लोबिया

क्र. सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
			समतुल्य उपज दर्ज हुई। आईसीएआर-अटारी, गुवाहाटी के तहत 27 केवीके के लिए प्राकृतिक खेती पर वार्षिक कार्य योजना को अंतिम रूप देने के लिए प्राकृतिक खेती प्रयोगों के निष्कर्षों को साझा किया गया। • तमिलनाडु के 3 जिलों (शिवगंगई, पुडुकोट्टई और विरुधुनगर) के कुल 62 किसानों और 6 विस्तार अधिकारियों को एकीकृत कृषि प्रणाली, जैविक और प्राकृतिक खेती पर व्यावहारिक जानकारी प्रदान की गई।
18.	30	वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। इसमें कटाई-उपरांत मूल्य संवर्धन, घरेलू खपत को बढ़ाने और बाजरा उत्पादों की राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय ब्रांडिंग करने के लिए सहायता दी जाएगी।	**कृषि एवं किसान कल्याण विभाग** • अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 के लिए मंत्रियों के समूह, कोर समिति और 6 टास्क फोर्स का गठन किया गया है। • बाजरा उत्पादों को दुबई एक्सपो 2020, सूरजकुंड मेला, आईआईटीएफ, एएएचएआर, दिल्ली हाट में बाजरा पाक कार्निवल, आईटीपीजीआरएफए, आदि में प्रदर्शित किया गया। • अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष, 2023 के लिए एफएओ को 5,00,000 अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया गया है। • बाजरा व्यंजन विधि पुस्तक तैयार की गई है और मंत्रालयों/विभागों, दूतावासों और राज्यों के साथ साझा की गई है। • नोडल मंत्रालयों/विभागों के विभिन्न लोकेशनों पर बाजरा आधारित उत्पादों की वेंडिंग मशीन संस्थापित करने के लिए हाल ही में डीएएण्डएफडब्ल्यू और नफेड के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

क्र. सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
			• घरेलू खपत और निर्यात बढ़ाने के लिए बाजरा उत्पादों और स्टार्टअप/एफपीओ को समर्थन दिया गया। • बाजरा के लिए नोडल संस्थान यानी आईआईएमआर, हैदराबाद को कई परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय** • खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए अपनी उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना और पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज (पीएमएफएमई) के माध्यम से राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कटाई-उपरांत मूल्यवर्धन, बढ़ी हुई घरेलू खपत, बाजरा उत्पादों की ब्रांडिंग का समर्थन कर रहा है। • एमओएफपीआई ने पीएलआई योजना में ₹800 करोड़ के परिव्यय के साथ बाजरा आधारित उत्पादों के लिए एक नया घटक जोड़ा है और योजना के तहत सहायता के लिए बाजरा आधारित उत्पादों के लिए 30 आवेदनों को मंजूरी दी गई है। • पीएमएफएमई योजना के तहत 10 राज्यों के 19 जिलों में बाजरा और इसके उत्पादों को एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) के रूप में चुना गया है। योजना के अंतर्गत 15.12.2022 तक बाजरा आधारित 458 सूक्ष्म उद्यमों को ऋण/सब्सिडी स्वीकृत की गई हैं तथा बाजरा प्रसंस्करण पद्धति वाले 9

क्र. सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
			इनक्यूबेशन केन्द्र स्वीकृत किए गए हैं। 3 बाजरा ब्रांड (बाजरे के आटे के लिए "सोमदाना" ब्रांड, रागी, सोरगम और ज्वार के लिए "भीमतड़ी" ब्रांड और बाजरा आधारित उत्पादों के लिए "सीमी" ब्रांड) शुरू किए गए हैं। • एमओएफपीआई ने अपने प्रोत्साहनपूरक कार्यकलापों के भाग के रूप में नवंबर 2023 में बाजरा सम्मेलन और बाजरा पर केंद्रित बड़े स्तर के कार्यक्रम की भी योजना बनाई है और इनके लिए तैयारी कर रहा है।
19.	31	तिहलनों के आयात पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए, तिलहनों के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने के उद्देश्य से एक तर्कसंगत और व्यापक योजना कार्यान्वित की जाएगी। .	**कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग** • सोयाबीन और मूंगफली की चार-चार, कुसुम की तीन और सूरजमुखी की एक सहित बेहतर गुणवत्ता वाली तिलहनी फसलों की बारह उच्च पैदावार वाली और जलवायु अनुकूल किस्में जारी की गयी हैं और देश में वाणिज्यिक खेती के लिए अधिसूचना हेतु सिफारिश की गई है। वर्ष 2021-22 के दौरान कुल 33936.30 क्विंटल तिलहनी फसलों के प्रजनक बीज का उत्पादन किया गया था, जिनकी वर्ष 2022-23 के दौरान फाउंडेशन और प्रमाणित बीज के निचले स्तरों पर मात्रा-वर्धन के लिए विभिन्न सार्वजनिक और निजी बीज उत्पादन एजेंसियों को आपूर्ति की गई। **कृषि एवं किसान कल्याण विभाग** • राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (तिलहन) और राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (ऑयल पॉम) के तहत पर्याप्त रूप से लागू किया गया।

क्र. सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
20.	32	किसानों को डिजिटल और हाइटेक सेवाएं प्रदान करने के लिए पीपीपी प्रणाली में योजना शुरू की जाएगी, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के अनुसंधान और विस्तार संस्थानों के साथ-साथ निजी एग्रीटेक भागीदारों और स्टेकहोल्डर्स, जो एग्रीवेल्यू चैन के होंगे, शामिल होंगे।	**कृषि और किसान कल्याण विभाग** घोषणा के कार्यान्वयन के तौर-तरीकों को सुदृढ़ करने के लिए हितधारकों से परामर्श किया जा रहा है।
21.	33	फसलों का आकलन करने, भू-दस्तावेजों का डिजिटाइजेशन करने, कीटनाशकों का छिड़काव करने और पोषक तत्वों के लिए 'किसान ड्रोन्स' के प्रयोग को बढ़ावा दिया जाएगा।	**कृषि और किसान कल्याण विभाग** • किसानों को क्रय/सब्सिडी प्रदान करने/मशीन का प्रदर्शन एवं स्थापित सीएचसी के सुदृढ़ीकरण हेतु बजट जारी किया जाता है। वर्ष 2021-22 के दौरान आईसीएआर और राज्य सरकारों को जारी बजट 2.56 करोड़ और 2022-23 के दौरान 22 दिसंबर तक 124.26 करोड़ था। **कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग** • बिहार के पश्चिम चंपारण और छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिलों में चावल की फसल में छिड़काव के लिए एनआईसीआरए गांवों में ड्रोन तकनीक का प्रदर्शन किया गया। चावल में विभिन्न कीटनाशकों और पानी में घुलनशील उर्वरकों के छिड़काव के लिए प्रदर्शन किए गए। 2 राज्यों में 2 जिलों को कवर करते हुए 75 किसानों को लाभान्वित करने के लिए दो कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रति घंटे कवर किया गया औसत क्षेत्र 2 हेक्टेयर है। किसानों के खेतों में प्रदर्शन के लिए निजी फर्मों से ड्रोन भाड़े पर लिए गए थे।

क्र. सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
			भूमि संसाधन विभाग • भूमि संसाधन विभाग चार राज्यों, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में से प्रत्येक में तीन जिलों में किसान ड्रोन का उपयोग करके प्रायोगिक परीक्षण/अवधारणा के प्रमाण का आयोजन करने का प्रस्ताव करता है। प्रायोगिक परीक्षण/पीओसी के परिणामों के आधार पर इसे सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में दोहराया जा सकता है। इस संबंध में एक पत्र 01.06.2022 को संबंधित राज्यों को भेज दिया गया है। उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और राजस्थान से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।
22.	34	राज्यों को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा कि वे अपने कृषि विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में संशोधन करे ताकि प्राकृतिक, जीरो-बजट और जैविक खेती, आधुनिक कृषि, मूल्यवर्धन और प्रबंधन की जरूरतों को पूरा किया जा सके।	**कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग** • कृषि विश्वविद्यालयों में स्नातकोत्तर और पीएचडी कार्यक्रमों के लिए ब्रॉड सब्जेक्ट मैटर एरिया (बीएसएमए) समिति की सिफारिशों को लागू किया गया। जैविक खेती, आधुनिक कृषि, मूल्यवर्धन और प्रबंधन पर पाठ्यक्रम 2021-2022 के शैक्षणिक सत्र से पहले ही शुरू हो चुके हैं। • प्राकृतिक खेती पर मसौदा पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्चा तैयार किया जा रहा है और इसे आगामी शैक्षणिक सत्र से लागू किए जाने की उम्मीद है।
23.	35	मिश्रित पूंजीयुक्त एक कोष, जो सह-निवेश मॉडल के अंतर्गत तैयार किया गया होगा, के लिए नाबार्ड से सहायता प्रदान की जाएगी। इसका उद्देश्य कृषि	**कृषि और किसान कल्याण विभाग** • नाबार्ड ने मिश्रित पूंजी निधि पर एक मसौदा ईएफसी/एसएफसी ज्ञापन और संकल्पना पत्र प्रस्तुत किया है। यह विचाराधीन है।

क्र. सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
		और ग्रामीण उद्यमों के लिए स्टार्ट-अप्स, जो कृषि उत्पाद मूल्य श्रृंखला के लिए संगत होंगे, को वित्तपोषित करना है। इन स्टार्ट-अप्स के क्रियाकलापों में अन्य बातों के अलावा एफपीओ को सहायता, खेत के स्तर पर किराया आधार पर किसानों के लिए मशीनरी उपलब्ध कराना और प्रौद्योगिकी, जिनमें आईटी आधारित समर्थन शामिल है, जैसे कार्य आएंगे।	
24.	36	**केन बेतवा परियोजना और अन्य नदी जोड़ो परियोजनाएं** ₹44,605 करोड़ की अनुमानित लागत से केन-बेतवा लिंक परियोजना को लागू किया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य 9.08 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना, 62 लाख लोगों के लिए पेयजल की आपूर्ति करना, 103 मेगावाट हाइड्रो और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन करना है। इस परियोजना के लिए संशोधित अनुमान 2021-22 में ₹4300 करोड़ और 2022-23 में ₹1400 करोड़ का आबंटन किया गया है।	**जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग** • केन-बेतवा लिंक परियोजना के कार्यान्वयन के लिए अधिसूचना दिनांक 11 फरवरी 2022 के तहत एक संचालन समिति और विशेष प्रयोजन संगठन अर्थात केन-बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण (केबीएलपीए) का गठन किया गया है, जिसे भारत सरकार और मध्य प्रदेश और उ.प्र. की राज्य सरकारों ने संयुक्त रूप से शुरू किया है। • वित्त वर्ष 2021-22 में केंद्रीय अनुदान से ₹4634.46 करोड़ की राशि का उपयोग किया गया। इसके अलावा, केंद्रीय अनुदान से वित्तीय वर्ष 2022-23 में ₹399.75 करोड़ का उपयोग किया गया है। 31.10.2022 तक केबीएलपी पर खर्च की गई कुल राशि राज्यों द्वारा किए गए व्यय सहित ₹7534.18 करोड़ है।

क्र. सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
			• वर्ष 2025 से शुरू होने वाले सिंचाई और जल आपूर्ति के अंतरिम लाभों के साथ परियोजना को मार्च, 2030 तक आठ साल की अवधि में लागू किया जाएगा। वर्तमान में, भूमि अधिग्रहण, आर एंड आर, वन मंजूरी और वन्यजीव मंजूरी पर काम शुरू किया गया है।
25.	37	पांच नदी संयोजनों लिंक्स यथा दमनगंगा-पिनजाल, पार-तापी-नर्मदा, गोदावरी-कृष्णा, कृष्णा-पेन्नार और पेन्नार-कावेरी के ड्राफ्ट डीपीआर को अंतिम रूप से तैयार कर लिया गया है। लाभार्थी राज्यों में इनपर एक बार सहमति हो जाती है तो केंद्र सरकार इनके क्रियान्वयन के लिए सहायता जारी कर देगी। .	**जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग (डब्ल्यूआर, आरडी और जीआर)** • दमनगंगा-पिंजाल (डीपी) और पार-तापी-नर्मदा लिंक (पीटीएन) परियोजनाएं: सचिव (डब्ल्यूआर, आरडी और जीआर) द्वारा 26.10.2021 को मुख्य सचिव स्तर की बैठक बुलाई गई थी ताकि पीटीएन में जल के बंटवारे को अंतिम रूप दिया जा सके और डीपी और पीटीएन लिंक के कार्यान्वयन के लिए एमओए का मसौदा तैयार किया जा सके। • गोदावरी - कावेरी लिंक: मुद्दों पर विचार-विमर्श करने और पक्षकार राज्यों के बीच सर्वसम्मति कायम करने के लिए, सचिव (डब्ल्यूआर, आरडी और जीआर) और महानिदेशक, एनडब्ल्यूडीए ने क्रमशः 18.02.2022 और 18.10.2022 को राज्यों के साथ बैठकें कीं। विभिन्न विभागों से वैधानिक मंजूरी के अध्यधीन, पक्षकार राज्यों के बीच आम सहमति बनाने और समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने के बाद काम शुरू किया जा सकता है। वर्तमान में, संबंधित राज्यों के बीच वार्ता और सहमति बनाई जा रही है।

क्र. सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
26.	38	**खाद्य प्रसंस्करण** फलों और सब्जियों की उपयुक्त किस्मों को अपनाने के लिए और उत्पादन और फसल कटाई की उपयुक्त तकनीकों का प्रयोग करने में किसानों की सहायता करने हेतु हमारी सरकार राज्य सरकारों की भागीदारी से एक व्यापक पैकेज प्रदान करेगी।	**कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग** • कुट्टू के छिलके निकालने के लिए 40 किग्रा/घंटा की क्षमता वाली एक बकव्हीट डीहलर मशीन विकसित की गई है, जिसे अकेले एक व्यक्ति द्वारा संचालित किया जा सकता है। • फलों/सब्जियों के उत्पादन के लिए पॉलीहाउस में एक स्वचालित शेडिंग प्रणाली विकसित और संस्थापित की गई। यह शेडिंग प्रणाली प्रतिदिन कम से कम 6-8 किलोवाट बिजली की बचत करता है क्योंकि फैन पैड कूलिंग प्रणाली का कम उपयोग होगा। • फलों और सब्जियों की उत्पादन तकनीकों पर उन्नत किस्मों के आठ फील्ड प्रदर्शन और हितधारकों के तीन प्रशिक्षण आयोजित किए गए। फलों की किस्मों की 6637 गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री और 10 मीट्रिक टन प्रजनक बीजों का उत्पादन किया गया।
27.	39	**एमएसएमई** उद्यम, ई-श्रम, एनसीएस और असीम पोर्टल्स को आपस में जोड़ा जाएगा। इनके दायरे को भी बढ़ाया जाएगा। अब ये ऐसे पोर्टल के रूप में काम करेंगे जिनमें लाइव, ऑर्गेनिक डाटाबेस होंगे और ये जी2सी, बी2सी और बी2बी सेवाएं प्रदान करेंगे। ये सेवाएं क्रेडिट सुविधा, कौशल विकास और भर्ती संबंधित होंगी और इनका उद्देश्य अर्थव्यवस्था को और अधिक औपचारिक	**नीति आयोग** • नीति आयोग ने पोर्टलों को आपस में जोड़ने और बाद में एकीकृत करने के लिए रूपरेखा तैयार की है। इसके अलावा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) और श्रम और रोजगार मंत्रालय (एमओएलई) की तकनीकी टीमें इन चार पोर्टलों के अलग-अलग डेटाबेस के बीच एपीआई साझा करने पर काम कर रही हैं। **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय** • उद्यम, ई-श्रम और एनसीएस पोर्टलों को जोड़ा गया है। असीम को अन्य 3 पोर्टल्स से जोड़ने

क्र. सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
		रूप देना बनाना तथा सभी के लिए उद्यमिता अवसर बढ़ाना है।	की प्रक्रिया जारी है। उद्यम पर पंजीकृत 4.36 लाख एमएसएमई की 26.12.2022 तक श्रम और रोजगार मंत्रालय के राष्ट्रीय कैरियर सेवा पोर्टल तक पहुंच थी। **कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय** • पोर्टलों के एकीकरण पर चर्चा करने के लिए 19.10.2022 को माननीय केंद्रीय मंत्री, एसडी एंड ई और माननीय मंत्री, श्रम एवं रोजगार की संयुक्त अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई। • बैठक के दौरान यह संकल्प लिया गया कि असीम पोर्टल को स्किल इंडिया डिजिटल के तहत शामिल किया जाएगा, एनसीएस पोर्टल नौकरियों और रोजगार के लिए प्राथमिक सरकारी पोर्टल के रूप में कार्य करेगा। **श्रम और रोजगार मंत्रालय** • एनसीएस पोर्टल को ई-श्रम, उद्यम और स्किल इंडिया पोर्टल के साथ सफलतापूर्वक एकीकृत किया गया है (असीम का रोजगार इच्छुक का डेटा स्किल इंडिया पोर्टल से लिया गया है)। ई-श्रम के असंगठित कामगार/प्रवासी मजदूर अब एनसीएस पोर्टल पर उपलब्ध हैं। एनसीएस पोर्टल में पंजीकृत नियोक्ताओं द्वारा पोस्ट की गई रिक्तियां उनके लिए उपलब्ध हैं और नियोक्ता द्वारा अधिसूचित रिक्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं यदि कौशल सेट नियोक्ताओं की आवश्यकता के साथ मेल खाते हैं।

क्र. सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
			• अब तक ई-श्रम पोर्टल के साथ एकीकरण के माध्यम से एनसीएस पर 10 लाख से अधिक अनौपचारिक श्रमिकों को पंजीकृत किया गया है और 1.75 लाख ई-श्रम श्रमिकों को नियोक्ताओं द्वारा शॉर्टलिस्ट किया गया है। उद्यम के साथ एनसीएस पोर्टल के एकीकरण से एनसीएस पोर्टल पर 4 लाख से अधिक एमएसएमई नियोक्ताओं को जोड़ने में सक्षम किया है। यह एकीकरण इन एमएसएमई नियोक्ताओं की जनशक्ति आवश्यकता को हल करने में मदद करेगा। इस एकीकरण के माध्यम से एनसीएस पोर्टल को स्किल इंडिया पोर्टल (असीम में जॉबसीकर डेटा) से 50 लाख से अधिक कुशल उम्मीदवार प्राप्त हुए हैं। एनसीएस में शामिल हुए इन एसआईपी उम्मीदवारों में से विभिन्न रिक्तियों के लिए 10 लाख से अधिक उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया गया है।
28.	40	इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम (ईसीएलजीएस) के तहत 130 लाख से अधिक एमएसएमई को अत्यंत जरूरी और अतिरिक्त ऋण प्रदान किया गया है। इससे उनको इस महामारी के प्रतिकूल प्रभाव से राहत मिलने में मदद मिली है। हॉस्पिटलिटी और इससे संबंधित सेवाओं, विशेषकर जोकि सूक्ष्म और लघु उपक्रमों के द्वारा दी जाती है, को अभी भी महामारी के पूर्व के स्तर तक अपने कारोबार को ले जाना है। इन पहलुओं पर विचार करने के पश्चात	**वित्तीय सेवाएं विभाग** • इस योजना को दिनांक 31.3.2023 तक बढ़ा दिया गया है। ईसीएलजीएस फंड की प्रबंधन समिति द्वारा उद्योग निकायों से प्राप्त सुझावों पर विचार किया गया और उन्हें अनुमोदित किया गया। तदनुसार, 30.3.2022 को एनसीजीटीसी द्वारा संशोधित परिचालन दिशानिर्देश जारी किए गए थे। • केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ईसीएलजीएस की सीमा को ₹50,000 करोड़ से बढ़ाकर ₹4.5 लाख करोड़ और फिर से बढ़ाकर ₹5 लाख करोड़ करने की मंजूरी दे दी है, जिसमें अतिरिक्त

क्र. सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
		ईसीएलजीएस को मार्च, 2023 तक बढ़ाया जाएगा और इसके गारंटी के दायरे को ₹50,000 करोड़ से बढ़ाकर कुल 5 लाख करोड़ रुपए तक कर दिया गया है और हॉस्पिटलिटी और इससे संबंधित उपक्रमों के लिए अनन्य रूप से अतिरिक्त सहायता निर्धारित की जा रही है।	राशि विशेष रूप से आतिथ्य और संबंधित क्षेत्रों के उद्यमों के लिए निर्धारित की गई है।
29.	41	अपेक्षित धन लगाकर क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फार माइक्रो एंड स्माल इन्टरप्राइजेज स्कीम (सीजीटीएमएसई) को पुनर्जीवित किया जाएगा। इससे सूक्ष्म और लघु उद्यमों को 2 लाख करोड़ ऋण और मिल सकेंगे और रोजगार के अवसर बढ़ेगें।	**सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय** सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी योजनाओं को नया रूप देने के लिए ईएफसी के अनुमोदन का प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है।
30.	42	5 वर्षों में ₹6,000 करोड़ के परिव्यय से 'रेजिंग एण्ड एक्सिलरेटिंग एमएसएमई परफोर्मेंस (आरएएमपी) प्रोग्राम' को शुरू किया जाएगा इससे एमएसएमई क्षेत्र और अधिक प्रतिरोधन क्षमता से युक्त, प्रतिस्पर्धात्मक और सक्षम होगा।	**सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय** • माननीय प्रधान मंत्री ने 30 जून 2022 को नई दिल्ली में आयोजित "उद्यमी भारत" कार्यक्रम के दौरान आरएएमपी योजना का शुभारंभ किया। • सेंट्रल टूल रूम (सीटीआर), लुधियाना को आरएएमपी के लिए सेंट्रल नोडल एजेंसी (सीएनए) नामित किया गया है। • राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से 26 हस्ताक्षरित एलओयू प्राप्त हुए। • रणनीतिक निवेश योजना तैयार करने के लिए 25 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आगे आवंटन के लिए सीटीआर लुधियाना (सीएनए) को ₹125.00 करोड़ की राशि अंतरित की गई।

क्र. सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
31.	43	**कौशल विकास** कौशल विकास कार्यक्रमों और उद्योगों के साथ भागीदारी को नई दिशा दी जा सकेगी जिससे कि कुशलता के आयामों को लगातार बढ़ावा मिलता रहेगा और इनमें स्थायित्व और रोजगार की क्षमता भी बढ़ेगी। 'नेशनल स्किल क्वालीफिकेशन फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ)' को बदलती औद्योगिक आवश्यकताओं के साथ संरेखित किया जाएगा।	**कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय** • औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के एक नेटवर्क के माध्यम से व्यावसायिक प्रशिक्षण आयोजित करने और कुशल कार्य बल के मामले में उद्योगों की आवश्यकता को के लिए पूरा करने और उद्योग लिंकेज में सुधार करने के लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण सुविधा विशेष जोर देने के लिए दोहरी प्रशिक्षण प्रणाली (डीएसटी) लागू की जा रही है। वर्तमान में, देश भर में उद्योग और आईटीआई/एनएसटीआई के बीच 3292 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। • प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी), एमएसडीई शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) के तहत आईटीआई के नेटवर्क के माध्यम से कुशल कार्य बल और शिल्प प्रशिक्षक प्रशिक्षण योजना (सीआईटीएस) के लिए शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) के तहत प्रशिक्षक व्यावसायिक प्रशिक्षण आयोजित करता है। डीजीटी ने 150 सीटीएस और 54 सीआईटीएस अर्हताओं को 1200 वार्षिक शिक्षण घंटों में युक्तिसंगत बनाया है। • उद्योग संबंधों को मजबूत करने और हाथों में कौशल बढ़ाने के लिए, डीजीटी फ्लेक्सी-एमओयू योजना भी लागू कर रहा है जो बड़े उद्योगों को बाजार की ताकत के अनुरूप उनकी आवश्यकताओं के अनुसार उम्मीदवारों को प्रशिक्षित करने की अनुमति देता है। इस योजना के तहत, 13 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं और 22 एनएसक्यूएफ अनुरूप पाठ्यक्रम विकसित किए गए हैं।

क्र. सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
			• पीएमकेवीवाई 3.0 योजना के तहत, 37 क्षेत्र कौशल परिषदों को उद्योग के नेतृत्व वाले निकायों के रूप में स्थापित किया गया है ताकि राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक तैयार किए जा सकें, योग्यता आधारित फ्रेमवर्क विकसित किया जा सके, प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण आयोजित किया जा सके, संबद्ध व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान, श्रम बाजार के लिए अपने संबंधित क्षेत्रों में कौशल अंतर अध्ययन आयोजित किया जा सके। सूचना प्रणाली और राष्ट्रीय व्यावसायिक मानकों से जुड़े पाठ्यक्रम पर प्रशिक्षुओं का आकलन करना और प्रमाणित करना। • प्रस्तावित पीएमकेवीवाई 4.0 योजना के तहत, मजबूत उद्योग संबंध बनाने और ऑन-द-जॉब कौशल प्रशिक्षण के लिए उनकी विशेषज्ञता का लाभ उठाने के प्रावधान किए गए हैं।
32.	44	डिजिटल ईकोसिस्टम फोर स्किलिंग एंड लाइवलीहुड द डीईएसएच-स्टेक ई-पोर्टल शुरू किया जाएगा। इसका उद्देश्य नागरिकों को इस प्रकार से सशक्त बनाना है कि वे ऑनलाइन ट्रेनिंग के माध्यम से अपनी कुशलता का विकास कर सकें, फिर से कौशल हासिल कर सके या अपनी कुशलता का उन्नयन कर सकें। इसके तहत एपीआई आधारित ट्रस्टेड स्किल क्रेडेन्सियल्स प्रदान किए जाएंगे और उसी के अनुसार भुगतान भी किया जाएगा तथा उनको नए 'डिस्कवरी लेअर्स' प्रदान किए जाएंगे जिससे कि वे यथोचित रोजगार और उद्यमितापरक अवसर का लाभ प्राप्त कर सकें।	**कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई)** • डीईएसएच-स्टेक में चिन्हित रजिस्ट्रियों की डेटा योजना को अंतिम रूप देने के लिए, एमएसडीई के सभी कार्यक्रम प्रभागों के साथ परामर्श किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, ई-एसएचआरएएम, ईपीएफओ, एनसीएस पोर्टल जैसे बाहरी हितधारकों के साथ समन्वय किया जा रहा है, ताकि उनके डेटाबेस में कैप्चर किए गए क्षेत्रों की पहचान की जा सके, जो स्किलिंग इकोसिस्टम से संबंधित हो।

क्र. सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
33.	45	विभिन्न प्रकार के अनुप्रयोगों के माध्यम से 'ड्रोन शक्ति' की सुविधा प्रदान करने और ड्रोन-एज-ए-सर्विस (डीआरएएएस) के लिए स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जाएगा। सभी राज्यों के चुनिंदा आईटीआई में कौशल विकास के लिए अपेक्षित पाठ्यक्रमों को चलाया जाएगा।	**नीति आयोग** • मॉडल आरएफपी तैयार करने के लिए एक कानूनी टीम को रखा गया है। पहले दो अध्याय पूरे हो चुके हैं। टीओआर और मानकों के मसौदे को अंतिम रूप दिया जा रहा है। **नागरिक उड्डयन मंत्रालय (एमओसीए)** • नागरिक उड्डयन मंत्रालय ड्रोन-एज-ए-सर्विस (डीआरएएएस) का उपयोग करने के लिए 15 चिन्हित केंद्रीय मंत्रालयों के साथ काम करेगा। एमओसीए तेजी से मंजूरी देकर और उद्योग, शिक्षा और स्टार्टअप को एक साथ लाकर इन मंत्रालयों को संभालेगा। • ड्रोन और ड्रोन घटक निर्माताओं के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन (पीएलआई) के लिए बजट आवंटन ₹120 करोड़ है। तीन वित्तीय वर्षों (2022-23 से 2024-25) में फैले आगे के अनुसंधान और विकास को वित्तपोषित करने के लिए योग्य निर्माताओं को 2022-23 से पीएलआई प्राप्त होगा। • एमओसीए प्रत्येक राज्य में चुनिंदा आईटीआई की पहचान करने के लिए प्रशिक्षण महानिदेशालय, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय को पत्र लिखेगा। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय और नागरिक उड्डयन महानिदेशालय इन आईटीआई में ड्रोन प्रशिक्षण शुरू करने में पूरा सहयोग देंगे। **कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई)** **अल्पकालिक ड्रोन पाठ्यक्रम** • एमएसडीई के तहत प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी) ने पहले से संबद्ध शिल्पकार प्रशिक्षण योजना ट्रेडों के साथ मौजूदा अल्पकालिक ड्रोन पाठ्यक्रमों की मैपिंग की है जो वर्तमान में आईटीआई में चल रहे हैं (यानी कंप्यूटर हार्डवेयर और नेटवर्क अनुरक्षण, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इंस्ट्रुमेंटेशन मैकेनिक, मैकेनिक उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी प्रणाली

क्र. सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
			अनुरक्षण, इलेक्ट्रीशियन, तकनीशियन मेक्ट्रोनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटीईएस। • अब तक भारत भर में निम्नलिखित दो ड्रोन पाठ्यक्रमों में 116 आईटीआई को संबद्धता प्रदान की गई है: (i) ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग और असेंबली और; (ii) ड्रोन सेवा तकनीशियन
34.	46	**गुणवत्ताप्रद शिक्षा को सर्वसुलभ करना** इस महामारी से बाध्य होकर स्कूलों को बंद किए जाने के कारण हमारे बच्चे, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले और जो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के हैं, को लगभग दो वर्ष की औपचारिक शिक्षा से बंचित होना पड़ा है। अधिकतर ये बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। हम अनुपूरक शिक्षण दिए जाने और शिक्षा हेतु एक उत्थानशील तंत्र तैयार करने की जरूरत को स्वीकार करते हैं। इस उद्देश्य से पीएम ई विद्या के 'वन क्लास-वन टीवी चैनल' कार्यक्रम को 12 टीवी चैनलों से बढ़ाकर 200 टीवी चैनलों तक पहुंचाया जाएगा। इससे सभी राज्य 1-12 तक की कक्षा के छात्रों के लिए अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में अनुपूरक शिक्षा प्रदान कर सकेंगे।	**स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग** • प्रचालित किए जाने वाले 200 डीटीएच टीवी चैनलों पर प्रसारण करने के लिए ई-सामग्री तैयार करने और साझा करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पदाधिकारियों को पत्र भेजा गया है। • जिन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने 3 चरणों में प्रशिक्षण प्राप्त किया है, उनके साथ नियमित आधार पर ई-सामग्री और संबंधित तौर-तरीकों के निर्माण के लिए अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है। मांगें जाने पर, हिंदी और अंग्रेजी में एनसीईआरटी की मौजूदा पाठ्यक्रम ई-सामग्री को झारखंड और अरुणाचल प्रदेश के साथ साझा किया गया है।
35.	47	व्यवसायिक पाठ्यक्रम के तहत अत्यंत महत्वपूर्ण चिंतन कौशल को बढ़ावा देने और रचनात्मकता को स्थान देने के लिए, वर्ष 2022-23 में विज्ञान और गणित में 750 वर्चुअल प्रयोगशालाओं और समकालिक शिक्षण परिवेश के लिए 75 स्किलिंग ई-लैब्स की स्थापना की जाएगी।	**स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग** • दीक्षा पोर्टल पर 29 जुलाई, 2022 को 217 वर्चुअल लैब अपलोड की गई हैं। इसके अलावा, 56 नई प्रयोगशालाएं विकसित की गई हैं।

क्र. सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
36.	48	इंटरनेट, मोबाइल फोन्स, टीवी और रेडियो पर डिजिटल टीचरों के माध्यम से वहां की बोली जाने वाली भाषा में उच्च गुणवत्ताप्रद ई-कन्टेंट तैयार किया जाएगा।	**स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग** • राज्य संसाधन समूहों ने ई-सामग्री के निर्माण के लिए शिक्षकों को कुशल बनाने के लिए चरणबद्ध तरीके से प्रशिक्षण कार्यशालाओं का आयोजन किया है। • चरण 1: 14-18 नवंबर 2022 10 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए - बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा महाराष्ट्र, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और दादरा नगर हवेली, दमन और दीव के केंद्र शासित प्रदेश - 155 प्रतिभागियों के साथ • चरण 2: 21-25 नवंबर 2022 6 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए - आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पुडुचेरी और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश - 135 प्रतिभागियों के साथ। डिजिटल सामग्री विकसित करने के लिए डिजिटल टूल पर दो वेबिनार आयोजित किए गए। • अकादमिक सलाहकार समिति का गठन किया गया है।
37.	49	अध्यापकों को गुणवत्ताप्रद ई-कन्टेंट तैयार करने में शिक्षण के डिजीटल उपकरणों से सशक्त बनाने और सुसज्जित करने और बेहतर शिक्षण परिणाम प्राप्त करने के लिए एक प्रतिस्पर्द्धापरक तंत्र की स्थापना की जाएगी।	**स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग** • प्रतियोगिता के शीर्षक को 'अखिल भारतीय बाल शैक्षिक ई-सामग्री प्रतियोगिता' के रूप में अंतिम रूप दिया गया है। प्रतियोगिता विवरणिका को अंतिम रूप दे दिया गया है। प्रतियोगिता के लिए आवेदन प्रविष्टि जमा करने के लिए लाइव है। प्रतियोगिता के लिए 90 पंजीकरण प्राप्त हुए हैं।

क्र. सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
38.	50	**डिजिटल विश्वविद्यालय** देशभर के विद्यार्थियों को उनके द्वार पर व्यक्ति विशिष्ट शिक्षण अनुभव के साथ विश्वस्तरीय गुणवत्तापूर्ण सर्वसुलभ शिक्षा देने के लिए एक डिजिटल विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। यह विभिन्न भारतीय भाषाओं और आईसीटी फार्मेट में उपलब्ध कराया जाएगा। यह विश्वविद्यालय नेटर्वक आधारित हब-स्पोक मॉडल पर बनाया जाएगा जिसमें हब भवन अत्याधुनिक आईसीटी विशेषज्ञता से युक्त होंगे। देश के सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक विश्वविद्यालय और संस्थान हब-स्पोक के नेटर्वक के रूप में में सहयोग करेंगे।	**नीति आयोग** • नीति आयोग शिक्षा मंत्रालय को इनपुट देता रहा है जो बजट घोषणा पर कार्रवाई कर रहा है। **उच्च शिक्षा विभाग** • मार्च 2022 में यूजीसी में प्रौद्योगिकी, शिक्षा, निजी और सरकारी क्षेत्र, नियामक और विश्वविद्यालय प्रशासन के प्रतिनिधित्व वाली एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है। • डिजिटल यूनिवर्सिटी से जुड़े सभी पहलुओं की जांच के लिए इस विशेषज्ञ समिति के तहत उप समितियों का गठन किया गया। • यूजीसी के अध्यक्ष ने शैक्षणिक सत्र 2023-24 से रोजगार उन्मुख पाठ्यक्रमों पर जोर देने के साथ डिग्री कार्यक्रम शुरू करने की सिफारिश की है। • एसडब्ल्यूएवाईएएम - नेशनल मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स (एमओओसी) प्लेटफॉर्म का रखरखाव आईआईटी मद्रास द्वारा किया जा रहा है। समर्थ, विश्वविद्यालयों के लिए एक ई-गवर्नेंस प्लेटफॉर्म, जिसे दिल्ली विश्वविद्यालय में विकसित किया गया है, को डिजिटल विश्वविद्यालय के लिए मुख्य मंच के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। एसडब्ल्यूएवाईएएम और समर्थ प्लेटफार्मों के बीच आवश्यक उचित एकीकरण की सिफारिश की गई है। • विश्वविद्यालयों/एड-टेक प्लेटफार्मों को डिजिटल विश्वविद्यालय पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा बनाने के लिए एक ई-गवर्नेंस फ्रेमवर्क की सिफारिश की गई है। डिजिटल विश्वविद्यालय के लिए डीपीआर और ईएफसी की समीक्षा की जा रही है। • अलग-अलग प्रवक्ताओं के लिए ऐसी टैक्नोलॉजी आर्टिटैक्चर के कार्यान्वयन के लिए प्रभावी तंत्र का समर्थन करने के लिए यूजीसी द्वारा विनियम प्रदान किए जाएंगे।

क्र. सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
39.	51	**आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन** 'राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र' के लिए एक ओपेन प्लेटफार्म चालू किया जाएगा। इसमें चिकित्सा कर्मियों एवं स्वास्थ्य सुविधाओं, अद्वितीय स्वास्थ्य पहचान, कन्सेंट फ्रेमवर्क और सभी के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता को डिजिटल रूप से दर्ज किया जायेगा।	**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय** • आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम) के राष्ट्रव्यापी रोलआउट की घोषणा 27 सितंबर 2021 को माननीय प्रधान मंत्री द्वारा की गई थी। एबीडीएम को 26 फरवरी 2022 को मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था। प्रमुख संकेतकों का डेटा निम्नानुसार है:- (i) एबीएचए (आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता) सृजित संख्याएं - 27,46,56,356 (ii) पंजीकृत स्वास्थ्य सुविधाएं- 1,72,452 (iii) हेल्थकेयर पेशेवर पंजीकृत - 1,03,886 (iv) एबीएचए मोबाइल ऐप डाउनलोड- 10,00,221। • 74 संस्थाओं (27 सार्वजनिक और 47 निजी) ने एबीडीएम पारिस्थितिकी तंत्र के साथ सफलतापूर्वक एकीकरण किया है। 1000 से अधिक संस्थाएँ वर्तमान में एबीडीएम के साथ एकीकृत होने की प्रक्रिया में हैं। • हेल्थकेयर पेशेवरों की रजिस्ट्री, एबीडीएम के बिल्डिंग ब्लॉक, एचईएएल का विकास इंडिया पोर्टल द्वारा (भारत के बाहर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए उपलब्ध स्वास्थ्य पेशेवरों के लिए एक पोर्टल) का विकास प्रगति पर है। एकीकृत स्वास्थ्य इंटरफेस का विकास, जो विभिन्न अनुप्रयोगों/प्लेटफार्मों पर डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं (जैसे, टेली-परामर्श) के लेन-देन को सक्षम करने के लिए एक ओपन नेटवर्क है, प्रगति पर है।

क्र. सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
40.	52	**नेशनल टेलीमेंटल हैल्थ प्रोग्राम** इस महामारी ने सभी आयु वर्ग के लोगों में मानसिक स्वास्थ्य की समस्या बढ़ा दी है। गुणवत्तापरक मानसिक स्वास्थ्य परामर्श एवं देखभाल सेवाओं तक बेहतर पहुंच को स्थापित करने के लिए एक 'नेशनल टेलीमेंटल हेल्थ प्रोग्राम' शुरू किया जाएगा। इसमें 23 उत्कृष्ट टेलीमेंटल हेल्थ सेंटर्स का एक नेटवर्क होगा जिसमें निम्हांस एक नोडल सेंटर के रूप में काम करेगा और अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान - बंगलूरू (आईआईआईटीबी) तकनीकी सहायता प्रदान करेगा।	**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय** • नेशनल टेलीमेंटल हेल्थ प्रोग्राम की सेवाएं दिनांक 10/10/2022 को शुरू की गईं। निम्हांस, बेंगलुरु को नोडल केंद्र के रूप में नामित किया गया है और यह सभी आवश्यक सहायता प्रदान कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, बेंगलुरु तकनीकी सहायता प्रदान कर रहा है। • राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया गया है कि वे योजना को समय पर शुरू करने के लिए कार्रवाई शुरू करें।
41.	53	**मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0** नारी शक्ति को हमारे उज्ज्वल भविष्य के एक अग्रदूत के रूप में महत्व दिए जाने की बात को स्वीकार करते हुए और इस अमृतकाल के दौरान हमारे महिला आधारित विकास कार्य को देखते हुए सरकार ने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की योजनाओं को पुनर्जीवित कर दिया है। तदनुसार, तीन योजनाएं अर्थात मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 को शुरू किया जाएगा जिससे कि महिलाओं और बच्चों को समेकित लाभ मिल सके। सक्षम आंगनवाड़ियां नयी पीढ़ी की आंगनवाड़ियां हैं जिनके पास बेहतर	**महिला एवं बाल विकास मंत्रालय** • सक्षम आंगनवाड़ी के तहत, देश भर में 2 लाख आंगनवाड़ी केंद्रों (एडब्ल्यूसी) (40,000 एडब्ल्यूसी प्रति वर्ष) शिक्षा विकास कार्यक्रमों के अभिसरण में 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के रचनात्मक, सामाजिक, भावनात्मक, संज्ञानात्मक और बौद्धिक विकास को प्रोत्साहित करने हेतु बेहतर पोषण और ईसीसीई के लिए सुदृढ़ किया जाएगा। • इस वर्ष आकांक्षी जिलों में उन्नयन के लिए 40,000 आंगनवाड़ी केंद्रों की पहचान की गई है। अब तक, 24 राज्यों में सक्षम आंगनवाड़ी के रूप में उन्नयन के लिए 35,758 आंगनवाड़ी केन्द्रों को मंजूरी दी गई है। जल शक्ति मंत्रालय (राष्ट्रीय जल मिशन) के पास सक्षम आंगनवाड़ियों में वर्षा जल संचयन

क्र. सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
		बुनियादी सुविधा और श्रव्य व दृश्य सहायता सामग्री मौजूद है और उनको स्वच्छ ऊर्जा से सम्पन्न भी किया गया है और वे बच्चों के प्रारंभिक विकास के लिए उन्नत परिवेश भी प्रदान कर रही है। इस योजना के अंतर्गत 2 लाख आंगनवाड़ियों को सक्षम आंगनवाड़ी के रूप में समुन्नत किया जाएगा।	प्रणाली के घटक के लिए तकनीकी सहायता के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ इंटरफेस करने के लिए एक नोडल अधिकारी है।
42.	54	**हर घर, नल से जल** 'हर घर, नल से जल' के अंतर्गत इस समय 8.7 करोड़ परिवारों को कवर किया गया है। इसमें से 5.5 करोड़ परिवारों को पिछले 2 सालों में नल का पानी उपलब्ध करा दिया गया है। वर्ष 2022-23 में 3.8 करोड़ परिवारों को कवर करने के लिए ₹60,000 करोड़ का आबंटन किया गया है।	**पेयजल और स्वच्छता विभाग** • जल जीवन मिशन (जेजेएम) 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण घर में नल के पानी के कनेक्शन का प्रावधान करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझेदारी में कार्यान्वित किया जा रहा है। मिशन की घोषणा के समय, 18.93 करोड़ घरों में से केवल 3.23 करोड़ (17 प्रतिशत) में नल के पानी की आपूर्ति थी। मिशन के शुभारंभ के बाद से, दिनांक 11.12.2022 तक 7.47 करोड़ से अधिक को नल जल कनेक्शन प्रदान किया गया है। 19.36 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से लगभग 10.70 करोड़ (55.28 प्रतिशत) को नल से जलापूर्ति हो रही है। दिनांक 11.12.2022 तक, 2022-23 में 136.75 लाख नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं।
43.	55	**सभी के लिए आवास** वर्ष 2022-23 में ग्रामीण और शहरी, दोनों ही क्षेत्रों में पीएमएवाई के अभिज्ञात व पात्र लाभानुभोगियों के लिए 80 लाख मकान बनाए जाएंगे। इस	**आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय** • पीएमएवाई-शहरी के तहत, 120.45 लाख स्वीकृत घरों में से, 106.60 लाख से अधिक घरों में निर्माण शुरू हो गया है और दिनांक 12.12.2022 तक 65.50 लाख घरों को

क्र. सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
		उद्देश्य के लिए ₹48,000 करोड़ का आबंटन किया गया है।	पूरा/परिदत्त कर दिया गया है। • वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान, 28 लाख घरों के निर्माण को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, जिनमें से 7.14 लाख घरों को चालू वित्त वर्ष में दिनांक 12.12.2022 तक पूरा कर लिया गया है। दिनांक 31.3.2022 तक स्वीकृत आवासों को पूर्ण करने के लिए योजना की अवधि अब दिनांक 31.12.2024 तक बढ़ा दी गई है। पीएमएवाई-शहरी के लाभार्थी के नेतृत्व वाले निर्माण (बीएलसी), अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप (एएचपी) और इन-सीटू स्लम पुनर्विकास (आईएसएसआर) वर्टिकल में गैर-स्टार्टर घरों की कटौती के प्रतिकूल राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को लाभार्थी के नेतृत्व वाले निर्माण (बीएलसी) के तहत मकान स्वीकृत किए जा सकते हैं। एएचपी, आईएसएसआर वर्टिकल के तहत कोई नई परियोजना/आवास मंजूर नहीं किया जाएगा। ऋण आधारित सब्सिडी स्कीम वर्टिकल को बढ़ाया नहीं गया है। **ग्रामीण विकास विभाग** • पीएमएवाई-ग्रामीण के तहत वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए घरों को पूरा करने के लिए निर्धारित भौतिक लक्ष्य 52,78,547 है। दिनांक 20/12/2022 तक कुल 28,86,460 आवास बनाए जा चुके हैं। दिनांक 20.12.2022 तक, ₹20533.70 करोड़ का उपयोग कर लिया गया है।

क्र. सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
44.	56	केंद्र सरकार शहरी क्षेत्रों में मध्यम आय वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लोगों के लिए सस्ते मकानों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सभी प्रकार की भूमि और निर्माण से संबंधित अनुमोदन में लगने वाले समय में बचत करने के लिए राज्य सरकारों के साथ काम करेगी। हम वित्तीय क्षेत्र के विनियामकों के साथ भी मिलकर काम करेंगे जिससे कि पूंजी सुलभ हो सके और मध्यस्थता पर आने वाले खर्च में कमी की जा सके।	**आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय** • घर के आकार के अनपेक्ष डेवलपर सहित सभी हितधारकों के लिए 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' सुनिश्चित करने के लिए, ऑनलाइन बिल्डिंग परमिशन सिस्टम (ओबीपीएस) को सुलभ प्रक्रियाओं की संख्या में कमी, समय, ऑनलाइन भुगतान आदि के साथ सभी आंतरिक / बाहरी एजेंसियों से एकीकृत निर्बाध अनुमोदन के साथ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में लागू किया जा रहा है। अब तक, ओबीपीएस को 2530 शहरों में लागू किया गया है, जिसमें 458 अमृत शहर शामिल हैं और जल्द ही शेष शहरों में भी इसे लागू किए जाने की संभावना है। भवन अनुमोदन में अनुपालन आवश्यकताओं की पहचान करने और उन्हें कम करने के लिए राज्यों से बात की जा रही है।
45.	57	**पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री की विकास पहल (डिवाईन)** उत्तर-पूर्व परिषद के माध्यम से 'प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट इनीटिएटिव फोर नॉर्थ ईस्ट रीजन (पीएम-डीईवीआईएनई)' नामक एक नई योजना चलाई जाएगी। इससे पीएम गतिशक्ति की भावना के अनुरूप पूर्वोत्तर की जरूरतों के मुताबिक बुनियादी सुविधाओं और सामाजिक विकास की परियोजनाओं के लिए वित्तपोषण किया जा सकेगा। इससे	**पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्रालय** • पीएमडीईवीआईएनई योजना को 12 अक्टूबर, 2022 को मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है। पीएमडीईवीआईएनई के तहत परियोजनाओं की स्वीकृति प्रक्रियाधीन है।

<table>
<tr><th>क्र. सं.</th><th>पैरा सं.</th><th>बजट घोषणा</th><th>कार्यान्वयन की स्थिति</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>युवकों और महिलाओं के आजीविका संबंधी क्रियाकलाप सुलभ हो सकेंगे और विभिन्न क्षेत्रों में व्याप्त अंतर को समाप्त किया जा सकेगा। यह कोई केंद्र या राज्य की वर्तमान योजनाओं का विकल्प नहीं होगी। जबकि केंद्रीय मंत्रालय अपनी परियोजनाओं को ला सकते हैं लेकिन प्राथमिकता केवल उन्हीं को दी जाएगी जोकि राज्यों के द्वारा लायी गयी होंगी। इसके लिए ₹1500 करोड़ का प्रारंभिक आबंटन किया जा रहा है और इन परियोजनाओं की प्रांरभिक सूची अनुबंध-1 में नीचे दी गई है।
<table>
<tr><th>क्र.सं.</th><th>परियोजना का नाम</th><th>कुल अनुमानित लागत (₹करोड़ में)</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>पूर्वोत्तर भारत गुवाहाटी (बहु-राज्य) में बाल चिकित्सा और वयस्क हेमोटोलिंफॉइड कैंसर के प्रबंधन के लिए समर्पित सेवाओं की स्थापना</td><td>129</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>नेक्टर (एनईसीटीएआर) आजीविका सुधार परियोजना (बहु-राज्य)</td><td>67</td></tr>
</table></td><td></td></tr>
</table>

क्र. सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा			कार्यान्वयन की स्थिति
		3.	पूर्वोत्तर भारत (बहु-राज्य) में वैज्ञानिक जैविक कृषि को बढ़ावा देना	45	
		4.	पश्चिमी की ओर आइजोल बाईपास का निर्माण	500	
		5.	पश्चिम सिक्किम में पेलिंग से संगा-चोएलिंग के लिए यात्री रोपवे प्रणाली के लिए अंतर निधियन	64	
		6.	दक्षिण सिक्किम में धपर से भलेढुंगा तक पर्यावरण के अनुकूल रोपवे (केबल कार) के लिए अंतर निधियन	58	
		7.	मिजोरम राज्य के विभिन्न जिलों में विभिन्न स्थानों पर बांस लिंक रोड के निर्माण के लिए पायलट परियोजना	100	
		8.	अन्य (पहचान किया जाना है)	537	
			कुल	1500	

क्र. सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
46.	58	**आकांक्षी विकास खंड कार्यक्रम** देश के अत्यन्त दुर्गम और पिछड़े जिलों में रहने वाले नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने का हमारा जो स्वप्न था वह आकांक्षी जिला कार्यक्रम बहुत कम समय में ही साकार हो गया है। इन 112 जिलों के 95 प्रतिशत में स्वास्थ्य, पोषण, वित्तीय स्थिति और आधारभूत अवसंरचना जैसे प्रमुख क्षेत्रों में काफी प्रगति देखने में आयी है। वे राज्यों के औसत मूल्य को भी पार कर गए हैं। हांलाकि इन जिलों के कुछ विकास खंड अभी भी पिछड़े हुए हैं। वर्ष 2022-23 में, इस कार्यक्रम के अंतर्गत इन्हीं जिलों के ऐसे ही ब्लॉक्स पर ध्यान दिया जाएगा।	**नीति आयोग** • घोषणा के बाद से, प्रखंडो के चयन के लिए मानदंड विकसित करने और प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक अंतर-मंत्रालयी समिति का गठन किया गया था। मिशन अंत्योदय के तहत उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, प्रत्येक आकांक्षी जिले से कम से कम 1 प्रखंड सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 500 प्रखंडो का चयन किया गया है। जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए फोकस के क्षेत्रों में स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, कृषि और जल संसाधन, वित्तीय समावेशन और कौशल विकास, अवसंरचना और सामाजिक विकास शामिल हैं। इसके अलावा, प्रत्येक राज्य को अपने संदर्भ के लिए प्रासंगिक संकेतक चुनने की भी स्वतंत्रता होगी। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ व्यापक विचार-विमर्श जारी है।
47.	59	**वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम** सीमावर्ती गांव, जहां की जनसंख्या बहुत ही छिटपुट है, उनकी कनेक्टिविटी और बुनियादी सुविधाएं भी बहुत ही सीमित हैं, विकास के लाभ से वंचित रह गए हैं। उत्तरीय सीमा के ऐसे ही गांव को इस नए 'वाइब्रेंट विलेजेज कार्यक्रम' के अंतर्गत लाया जाएगा। यहां के क्रियाकलापों में गांव की बुनियादी सुविधाओं, आवास, पर्यटन केंद्रों के	**गृह मंत्रालय** • व्यय वित्त समिति की बैठक 20 मई, 2022 को आयोजित की गई। व्यापक विकास के लिए 17 पायलट वाइब्रेंट गांवों की पहचान की गई है।

क्र. सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
		निर्माण, सड़क संपर्क, विकेंद्रित नवीकरणीय ऊर्जा की व्यवस्था है, दूरदर्शन और शिक्षण चैनलों के लिए 'डाइरेक्ट टू होम एक्सेस' की व्यवस्था और आजीविका सृजन के लिए सहायता जैसे कार्य आएंगे। इन क्रियाकलापों के लिए अतिरिक्त धन उपलब्ध कराया जाएगा। वर्तमान योजनाओं को एक में मिला दिया जाएगा। हम उनके परिणामों की विवेचना करेंगे और उनकी लगातार निगरानी भी करेंगे।	
48.	60	**किसी भी समय कहीं भी डाकघर बचत** 2022 में शत प्रतिशत 1.5 लाख डाक घरों में कोर बैंकिंग सिस्टम चालू हो जाएगा जिससे 'वित्तीय समावेशन' संभव होगा और नेटबैंकिंग के माध्यम से अपना खाता देखा जा सकेगा, यहां मोबाइल बैंकिंग होगी, एटीएम की सुविधा भी होगा और डाक घर के खाते से बैंक खाते के बीच पैसे का ऑनलाइन अंतरण भी हो सकेगा। इससे विशेष तौर पर ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले किसानों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 'इंटर-ऑपरेबिलटी और फाइनेंशियल इंक्लूजन' की सुविधा उपलब्ध होगी।	**डाक विभाग** • 25,085 विभागीय डाकघरों और 1.27 लाख शाखा डाकघरों के माध्यम से सभी डाकघर खातों को कोर बैंकिंग प्रणाली (सीबीएस) में स्थानांतरित कर दिया गया है। डाकघर खातों और बैंक खातों के बीच डाक सहित ऑनलाइन धन अंतरण को सक्षम किया गया है जिसमें एनईएफटी और आरटीजीएस के माध्यम से कार्यालय पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि खाते शामिल हैं, जिससे नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और एटीएम के माध्यम से वित्तीय समावेशन और डाकघर खातों तक पहुंच को आगे बढ़ाया जा सके।

क्र. सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
49.	61	**डिजिटल बैंकिंग** हाल के वर्षों में देश में डिजिटल बैंकिंग, डिजिटल पेमेण्ट्स और फिनटेक जैसे अभिनवीन कार्यों में तेजी से वृद्धि हुई है। सरकार इन क्षेत्रों को लगातार प्रोत्सहित कर रही है जिससे कि डिजिटल बैंकिंग का लाभ 'यूजर फ्रेण्डली' ढंग से देश के कोने कोने तक पहुंच सके। इस लक्ष्य की ओर अग्रसर होते हुए और अपनी स्वतंत्रतता का 75 वर्ष मनाते हुए यह प्रस्ताव किया गया है कि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा देश के 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग युनिट्स (डीबीयूएस) की स्थापना की जायेगी।	**वित्तीय सेवाएं विभाग** • वित्तीय समावेशन को प्रगाढ़ करने के लिए, माननीय वित्त मंत्री ने हमारे देश की आजादी के 75 साल (आजादी का अमृत महोत्सव) मनाने के लिए देश भर के सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को कवर करने वाले 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयों (डीबीयू) की स्थापना की घोषणा की थी। • माननीय पीएम ने दिनांक 16.10.2022 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 75 जिलों में इन डीबीयू को राष्ट्र को समर्पित किया है।
50.	62	**डिजिटल भुगतान** पिछले बजट में 'डिजिटल पेमेंट्स इको-सिस्टम' के लिए वित्तीय समर्थन की जो घोषणा की गई थी वह वर्ष 2022-23 में भी जारी रहेगी। इससे डिजिटल पेमेंट्स को और अधिक अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकेगा। इसके तहत पेमेंट प्लेटफोर्म के प्रयोग को बढ़ावा दिए जाने पर ध्यान दिया जाएगा जोकि इकोनोमिकल और यूजर फ्रेन्डली होता है।	**इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय** • मंत्रिमंडल नोट को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया चल रही है।

क्र. सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
51.	63	**उत्पादकता संवर्धन एवं निवेश, उदीयमान अवसर (सनराइस ओपोरचुनिटिज), ऊर्जा संक्रमण और जलवायुपरक कार्य** **उत्पादकता संवर्धन एवं निवेश** **ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2.0 एवं ईज ऑफ लिविंग** पिछले दो वर्षों में 25,000 से अधिक अनुपालनों को कम कर दिया है और 1486 संघीय कानूनों को खत्म कर दिया गया है। 'न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन',यह सरकार की उस मजबूत प्रतिबद्धता का परिणाम है जिसके तहत वह 'न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन, लोक में जनता में हमारा विश्वास और ईज ऑफ डुइंग बिजनेस (ईओडीबी) के प्रति समर्पित है।	**उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी)** • डीपीआईआईटी नागरिक और व्यावसायिक गतिविधियों पर अनुपालन बोझ को कम करने के लिए मंत्रालयों और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ समन्वय के लिए नोडल विभाग है। ईओडीबी 2.0 का उद्देश्य मंत्रालयों/विभागों और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में मामूली तकनीकी और प्रक्रियात्मक चूक को सरल, युक्तिसंगत, अंकीयकरण करके, व्यापारिक सुगमता और जीवन को सरल बनाने और गवर्नमेंट टू बिज़नेस और सिटिजन इंटरफ़ेस को परेशानी मुक्त बनाना है। • ईओडीबी 2.0 के तहत प्रयास चल रहे हैं जहां सभी हितधारक अतिरेकता को दूर करने और अनुपालन बोझ को लगातार कम करने के इरादे से अपने दायरे में नियमों और विनियमों की जांच कर रहे हैं। • डीपीआईआईटी मंत्रालयों/विभागों और राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना जारी रखेगा।
52.	64	इस अमृत काल में ईज ऑफ डुइंग बिजनेस ईओडीबी 2.0 और ईज ऑफ लिविंग के दूसरे चरण को शुरू किया जाएगा। हम पूंजी की उत्पादक क्षमता और मानव संसाधन में सुधार लाने के अपने प्रयास में 'राइट टू नो' के स्थान पर 'नीड टू नो' के सिद्धान्त का और साथ ही साथ 'विश्वास आधारित शासन'	**उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी)** • डीपीआईआईटी ने सभी मंत्रालयों/विभागों और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ समन्वय किया है और सुधारों के कार्यान्वयन के लिए अनुपालन बोझ प्रक्रिया को कम करने के लिए अगले चरण के लिए कार्य योजना का एक नया खाका साझा किया है।

क्र. सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
		(ट्रस्ट वेस्ट गवर्नेंस) के सिद्धांत का पालन करेंगे।	• डीपीआईआईटी ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ परामर्श भी किया है और व्यापार सुधार कार्य योजना (बीआरएपी), 2022 को अंतिम रूप देने के लिए एक कार्यदल का गठन किया है, जिसमें 352 सुधार बिंदु शामिल हैं, जो दो भागों में फैले हुए हैं अर्थात, (i) योजना क: व्यापार केंद्रित सुधार, और (ii) योजना ख: सिटीजन नागरिक- केंद्रिक सुधार।
53.	65	इस नए फेस की दिशा राज्यों की सक्रिय भागीदारी, मानव प्रक्रिया और आईटी संबंधी पाटन के माध्यम से केन्द्र और राज्य स्तरीय व्यवस्था के संयोजन, नागरिक केन्द्रित सेवाओं के लिए सिंगल प्वाइंट एक्सेस और मानकीकरण से तथा परस्पर व्यापी अनुपालन के समापन से निर्धारित होगी। जनता से सुझाव को प्राप्त करने और इसके प्रभाव का आधारभूत स्तर पर आंकलन करने के साथ-साथ नागरिकों और व्यापारियों की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाएगा।	**उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी)** • डीपीआईआईटी ने सुधारों के कार्यान्वयन के लिए अनुपालन बोझ को कम करने के चरण-II हेतु कार्य योजना का नयी रूपरेखा तैयार की है, जिसकी समय-सीमा दिनांक 15.08.2022 को पूरी हो गई है। कार्य योजना के नए टेम्प्लेट में 4 श्रेणियों के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के अनुपालन शामिल हैं, जैसे, सरलीकरण, डिक्रिमिनलाइजेशन, अतिरेक और डिजिटाइजेशन को हटाना। • डीपीआईआईटी ने हितधारकों के संबंध में कई परामर्श आयोजित किए हैं और मंत्रालयों/विभागों और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र को भी हितधारकों से संबंधित परामर्श आयोजित करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। सभी हितधारकों की करीबी भागीदारी सहित, डीपीआईआईटी सभी मंत्रालयों/विभागों, राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को अतिरेक को दूर करने और व्यवसायों और नागरिकों पर अनुपालन बोझ को लगातार कम करने के लिए समर्थन देना जारी रखेगा।

क्र. सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
54.	66	**हरित (पर्यावरण) स्वीकृति** ग्रीन क्लियरेंस के लिए 'पीएआरआईवीईएसएच' (परिवेश) नामक एक सिंगल विंडो पोर्टल को 2018 में चालू किया गया था। इससे अनुमोदन के लिए अपेक्षित समय में पर्याप्त कमी की जा सकी है। इस पोर्टल के दायरे को अब और आगे बढ़ाया जाएगा। जिससे कि आवेदक जानकारी प्राप्त कर सके। 'ईकाइयों' की अवस्थिति के आधार पर विशेष प्रकार के अनुमोदनों के बारे में जानकारी दी जाएगी। इससे एक सिंगल फोर्म के माध्यम से सभी चारों अनुमोदनों के लिए आवेदन किया जा सकेगा और सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर-ग्रीन (सीपीसी-ग्रीन) प्रक्रिया की ट्रैकिंग की जा सकेगी।	**पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय** • प्रमुख मॉड्यूल नामत: नो योर अप्रूवल मॉड्यूल (केवाईए); निर्णय समर्थन प्रणाली (डीएसएस); सामान्य आवेदन पत्र (सीएएफ); बहु संख्यक निकासी विनिदिष्ट प्रपत्र ; परिवेश प्रशासन; वन मंजूरी की एंड-टू-एंड प्रसंस्करण को विकसित और एकीकृत किया गया है। पर्यावरण मंजूरी (ईसी), वन्य जीवन (डब्ल्यूएल) और तटीय विनियमन क्षेत्र (सीआरजेड) की एंड-टू-एंड प्रक्रिया का और विकास पूरा हो गया है और पोर्टल सहित एकीकरण के लिए परीक्षण प्रक्रिया चल रही है। शेष मॉड्यूल जैसे अनुपालन मॉड्यूल ईसी के अतिरिक्त अन्य मंजूरी का एकीकरण, वन मंजूरी, डब्ल्यूएल और सीआरजेड, केंद्रीकृत प्रसंस्करण केंद्र का विकास प्रगति पर है।
55.	67	**ई-पासपोर्ट** नागरिकों की विदेश यात्रा में सुविधा बढ़ाने के लिए 2022-23 में एम्बेडेड चिप और भविष्य की तकनीक का उपयोग करते हुए ईपासपोर्ट जारी किए जाएंगे।	**विदेश मंत्रालय** • ई-पासपोर्ट परियोजना के कार्यान्वयन के लिए विदेश मंत्रालय (एमईए), राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सेवा निगम (एनआईसीएसआई) के बीच एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। प्रथम वर्ष के लिए, विदेश मंत्रालय ने भारत प्रतिभूमि प्रेस, नासिक को 70 लाख ई-पासपोर्ट के लिए मांगपत्र दिया है। एनआईसीएसआई को प्रथम वर्ष की परियोजना लागत के 40% रोलिंग अग्रिम का भुगतान किया गया है। विदेश मंत्रालय परियोजना को जल्द से जल्द शुरू करने के लिए सभी हितधारकों के साथ समन्वय कर रहा है।

क्र. सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
56.	68	शहरी विकास उस समय, जब भारत 100 साल का हो जाएगा, तो संभावना यही है कि हमारी आधी से अधिक जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में निवास कर रही होगी। इस स्थिति के लिए तैयार होने के लिए एक सुव्यवस्थित शहरी विकास बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे देश की आर्थिक क्षमता का उपयोग किया जा सकेगा, जिसमें शहरों में परिणामत: बढ़ी हुई जनसंख्या के लिए आजीविका संबंधी अवसर भी आते हैं। इसके लिए जहां एक ओर हमें बड़े शहरों और इनके आसपास के क्षेत्रों को पोषित करने की जरूरत है, ताकि वे आर्थिक विकास को गति देने वाले केन्द्रों के रूप में विकसित किया जा सके। दूसरी ओर हमें टायर-2 और टायर-3 शहरों में सुविधा प्रदान किए जाने की जरूरत है, जिससे कि भविष्य के लिए इनको एक बाह्य कवच के रूप में तैयार किया जा सके। इसके लिए यह जरूरी है कि हम अपने शहरों को संधारणीय जीवन के केन्द्र के रूप में देखें, जिनमें महिलाओं और युवाओं सहित सभी के लिए अवसर उपलब्ध हों। ऐसा संभव होने के लिए शहरी नियोजन को बदलना होगा। हम मूलभूत परिवर्तन लाने की योजना बनाते हैं।	**आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय** • भूमि उपयोग दक्षता को बढ़ावा देने और भवन उपनियमों के आधुनिकीकरण के माध्यम से सस्ता आवास सहित समावेशी शहर सुनिश्चित करने तथा पारगमन उन्मुख विकास और स्पंज शहरों के माध्यम से संधारणीयता सुनिश्चित करने हेतु शहर के सघनीकरण के लिए शहरी नियोजन सुधारों के लिए ₹6000 करोड़ का प्रोत्साहन राशि अलग रखी है। • राज्यों को प्रोत्साहन जारी करने के हेतु उपलब्धियों के लिए दिशानिर्देश परिचालित किए गए। 14 राज्यों से प्राप्त प्रस्ताव प्रक्रियाधीन हैं।

क्र. सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
57.	69	शहरी क्षेत्र की नीतियों, क्षमता निर्माण, नियोजन, कार्यान्वयन और प्रशासन के बारे में सिफारिशें करने के लिए प्रतिष्ठित शहरी नियोजकों, शहरी अर्थशास्त्रियों और संस्थानों की एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा।	**आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय** • उच्च स्तरीय समिति (एचएलसी) का गठन किया गया है। एचएलसी की दो बैठकें और अहमदाबाद में एक राष्ट्रीय स्तर की शहरी नियोजन कार्यशाला आयोजित की गई है। एचएलसी ने उत्तर प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, गुजरात, केरल और त्रिपुरा के साथ इंटरफेज स्थापित किया है।
58.	70	**राज्य को शहरी नियोजन में सहायता** शहरी क्षमता निर्माण के लिए राज्यों को सहायता दी जाएगी। भवन संबंधी उपनियमों के आधुनिकीकरण नगर नियोजन योजनाएं और पारगमन उन्मुखी विकास लागू किया जाएगा। इससे लोगों के सामूहिक परिवहन व्यवस्थाओं के निकट रहने और कार्य करने संबंधी सुधार होंगे। सामूहिक परिवहन परियोजनाओं और अमृत योजना के लिए दी जाने वाली केंद्र सरकार की वित्तीय सहायता का लाभ कार्य योजनाओं को तैयार करने और राज्यों द्वारा नगर नियोजन योजनाएं और परिवहन उन्मुखी विकास को सुविधा प्रदान करने के लिए उनका कार्यान्यवन करने के लिए किया जाएगा।	**नीति आयोग** • नीति आयोग द्वारा प्रदान दी गई निविष्टियों के आधार पर, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) ने 5,000 शहरी नियोजकों को लक्षित करते हुए प्रशिक्षण आवश्यकताओं की जांच और समन्वय के लिए तथा अगले पांच वर्षों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के लिए रूपरेखा का सुझाव देने हेतु एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। उपनियमों के निर्माण के संबंध में, नीति आयोग, इन विषयों पर काम करने और राज्यों के साथ जुड़ने के लिए एमओएचयूए और उच्च स्तरीय समिति के अन्य विशेषज्ञों के साथ साझेदारी कर रहा है। **आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय** • अब तक लगभग 230 शहरी नियोजकों का क्षमता निर्माण प्रशिक्षण किया जा चुका है।
59.	71	शहरी नियोजन और डिजाइन में भारत विशिष्ट ज्ञान विकसित करने और इन क्षेत्रों में प्रमाणित प्रशिक्षण प्रदान करने	**नीति आयोग** एमओएचयूए ने दिनांक 29 अप्रैल 2022 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से एक समिति का

क्र. सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
		के लिए, विभिन्न क्षेत्रों में 5 मौजूदा शैक्षिक संस्थाओं को उत्कृष्टता केंद्रों के रूप में अभिहित किया जाएगा। इन प्रत्येक केंद्रों को ₹250 करोड़ की दाय निधि प्रदान की जाएगी। इसके अलावा, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद पाठ्यक्रम, अन्य संस्थाओं में शहरी नियोजन पाठ्यक्रमों की गुणवत्ता सुधारने तथा सुलभता के लिए अग्रणी भूमिका निभाएगी।.	गठन किया था। एमओएचयूए के साथ विभिन्न बैठकें और चर्चाएँ हुईं। नीति आयोग द्वारा 'चुनौती और प्रतिस्पर्धा' पद्धति की रूपरेखा और पात्रता मानदंड प्रदान किए गए। एमओएचयूए ने इच्छुक और पात्र संस्थानों से प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं। **उच्च शिक्षा विभाग** • बजट में प्रस्तावित उत्कृष्टता केंद्रों (सीओई) के लिए आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) द्वारा योजना विकसित और कार्यान्वित की जा रही है। एमओएचयूए ने उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) के रूप में नामित किए जाने वाले संस्थानों की पहचान करने के लिए पहले ही एक समिति का गठन कर दिया है। समिति की बैठक दिनांक 22.08.2022 को हुई थी। समिति द्वारा दिशानिर्देश तैयार किए जा रहे हैं। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) ने एनईपी 2020 और केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुरूप भारत में शहरी नियोजन क्षमता में सुधार संबंधी रूपरेखा तैयार करने के लिए दिनांक 02.04.2022 को एक समिति का गठन किया है। समिति द्वारा शहरी नियोजन में स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए मसौदा पाठ्यक्रम को पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है। **आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय** • समिति का गठन किया गया है और 5 शहरी नियोजन संस्थानों को सीओई के रूप में नामित करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। 28 संस्थानों ने अपने प्रस्ताव एमओएचयूए को भेज दिए हैं, जो विचाराधीन हैं।

क्र. सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
60.	72	**स्वच्छ और संधारणीय आवागमन** हम शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन के उपयोग की ओर परिवर्तन को बढ़ावा देंगे। इसे स्वच्छ तकनीकी और शासन समाधानों, शून्य जीवाश्म ईंधन नीति और ईवी वाहनों के साथ विशेष आवागमन जोन द्वारा संपूरित किया जाएगा।	**भारी उद्योग विभाग** • भारी उद्योग मंत्रालय फेम II योजना के अंतर्गत ई बसें उपलब्ध कराने में कार्य कर रहा है। फेम इंडिया योजना के अंतर्गत विभिन्न एसटीयू ने 3538 ई-बसों के लिए आपूर्ति आदेश दिए हैं, 04 जनवरी, 2023 तक जिनमें से 2435 को चलाया गया है। इसके अतिरिक्त, 3472 ई-बसों को नीति आयोग के एकत्रीकरण मॉडल के अंतर्गत सीईएसएल द्वारा संसाधित किया जा रहा है। इस प्रकार, फेम II योजना के अंतर्गत, विभिन्न राज्यों में कुल 3738 और 3472 ई-बसें अर्थात् 7210 ई-बसें तैनात की जाएंगी। **आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय** • कम कार्बन मार्ग सहित शहरी आवागमन के विकास को बढ़ावा देने के विजन से, यह मंत्रालय जलवायु परिवर्तन शमन और सधारणीयता के लक्ष्य को पूरा करने के लिए हरित और स्वच्छ शहरी आवागमन परियोजना को बढ़ावा देने हेतु हरित आवामगन पहल सहित सिटी बस सेवा और संबंधित अवसंरचना बस वित्त पोषण योजनाओं को शुरू करने की प्रक्रिया में है। इस योजना का कुल परिव्यय ₹20,000 करोड़ है।
61.	73	**बैट्री अदला-बदली नीति** बड़े पैमाने पर चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के लिए शहरी क्षेत्रों में स्थान की कमी पर विचार करते हुए, एक बैट्री अदला-बदली नीति लायी जाएगी तथा अंतर प्रचालनीय मानक तैयार किए जाएंगे। निजी क्षेत्र को 'एक सेवा के रूप में बैट्री अथवा ऊर्जा' के लिए संधारणीय और अभिनव व्यवसाय मॉडल विकसित करने के लिए	**नीति आयोग** • निजी क्षेत्र द्वारा बैटरी या ऊर्जा को सेवा के रूप में संधारणीय और अभिनव व्यापार मॉडल को प्रोत्साहित करने के लिए अंतर-प्रचालनीय मानकों और उपायों सहित बैटरी अदला-बदली नीति तैयार करने का कार्य नीति आयोग द्वारा शुरू किया गया है। • बैटरी अदला-बदली की नीति पूरी हो चुकी है और यह जारी करने के लिए तैयार है। डीएसटी/बीआईएस द्वारा अंतर-प्रचालनीय

क्र. सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
		प्रोत्साहित किया जाएगा। इससे ईवी पारितंत्र की प्रभावकारिता में सुधार होगा।	मानक भी तैयार किए जा रहे हैं, और उद्योग सहित उपभोक्ता मामला मंत्रालय द्वारा मानकों पर अंतिम विचार-विमर्श चल रहा है। मानकों को अंतिम रूप दिए जाने के बाद, नीति जारी की जा सकती है और उपयुक्त मंत्रालय में रखने के लिए पेश की जा सकती है।
62.	74	**भूमि अभिलेख प्रबंधन** भू-संसाधनों का प्रभावी उपयोग एक प्रमुख अनिवार्यता है। राज्यों को अभिलेखों के आईटी आधारित प्रबंधन को सुकर और कारगर बनाने के लिए यूनिक लैंड पार्सल आईडेंटिफिकेशन नंबर अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। अनुसूची VIII की भाषाओं में से किसी एक में भू-अभिलेखों के लिप्यांतरण संबंधी सुविधा भी शुरू की जाएगी।	**भूमि संसाधन विभाग** • दिनांक 20 जनवरी, 2023 तक की स्थिति के अनुसार, यूएलपीआईएन को 26 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों अर्थात् आंध्र प्रदेश, झारखंड, गोवा, बिहार, ओडिशा, सिक्किम, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, जम्मू और कश्मीर, असम, मध्य प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, तमिलनाडु, पंजाब, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, केरल और लद्दाख में शुरू किया गया है। • इसके अतिरिक्त, यूएलपीआईएन का पायलट परीक्षण 6 और राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्र नामत: कर्नाटक, पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, मणिपुर, दिल्ली और तेलंगाना में किया गया है।
63.	75	'एक राष्ट्र एक रजिस्ट्रीकरण सॉफ्टवेयर' के साथ नेशनल जेनेटिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम के अंगीकरण अथवा लिंकेज को रजिस्टरीकरण के लिए समरूप प्रक्रिया और विलेखों और दस्तावेजों के 'कहीं भी रजिस्ट्रीकरण' के लिए एक विकल्प के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा।	**भूमि संसाधन विभाग** • दिनांक 30.11.2022 तक की स्थिति के अनुसार, एनजीडीआरएस को 17 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों पंजाब, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, मणिपुर, गोवा, झारखंड, मिजोरम, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, दादर और नगर हवेली, जम्मू और कश्मीर, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, लद्दाख, बिहार, असम, मेघालय और उत्तराखंड में लागू किया गया है। • 2022-23 में शेष राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्र में एनजीडीआरएस का अंतिम रोल आउट शुरू कर दिया गया है। इसे 2023-24 तक पूरा कर लिया जाएगा।

क्र. सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
64.	76	**दिवालियापन और शोधन अक्षमता संहिता** समाधान प्रक्रिया की प्रभावकारिता को बढ़ाने तथा सीमापार दिवाला समाधान को सुकर बनाने के लिए इस संहिता में आवश्यक संशोधन किए जाएंगे।	**कारपोरेट कार्य मंत्रालय** • मसौदा विधेयक सहित मसौदा मंत्रिमंडल टिप्पणी दिनांक 04.03.2022 को अंतर-मंत्रालयी परामर्श के लिए परिचालित की गई थी। निविष्टियों के आधार पर, विशिष्ट मुद्दों पर भावी अध्ययन चल रहा है।
65.	77	**त्वरित कारपोरेट निष्क्रमण** नई कंपनियों के त्वरित रजिस्ट्रीकरण के लिए अनेक आईटी आधारित तंत्र स्थापित किए गए हैं। अब, इन कंपनियों के स्वैच्छिक परिसमापन को सरल और कारगर बनाने तथा और गति देने हेतु मौजूदा 2 वर्ष के समय को 6 माह तक घटाने के लिए पुनर्विन्यास प्रक्रिया के साथ त्वरित कारपोरेट समापन के लिए केंद्र स्थापित किया जाएगा।	**कारपोरेट कार्य मंत्रालय** • एमसीए21 संस्करण 3.0 में प्रयोग किए जाने वाले एसटीके-2 फॉर्म सहित, इस वित्तीय वर्ष के भीतर सी-पेस की स्थापना और इसका संचालन किया जाएगा। डिजाइन और विकास प्रगति पर है।
66.	78	**सरकारी प्राषण** हाल ही में सरकारी नियमों को अमृत काल की आवश्यकताओं के लिए आधुनिक बनाया गया है। नए नियमों को विभिन्न हितधारकों से प्राप्त निविष्टियों से लाभ मिला है। आधुनिक बनाए गए नियम जटिल टेंडरों के मूल्यांकन में लागत के अलावा पारदर्शी गुणवत्ता मानदण्डों के उपयोग को अनुमति देते हैं। अनिवार्य रूप से 10 दिन के भीतर चालू बिलों के 75 प्रतिशत के भुगतान हेतु और समझौते के माध्यम से विवादों के निपटारे को प्रोत्साहित करने के लिए प्रावधान किए गए हैं।	**व्यय विभाग** • इस संबंध में व्यय विभाग द्वारा सामान्य अनुदेश जारी किए जा चुके हैं।

क्र. सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
67.	79	पारदर्शिता को बढ़ाने तथा भुगतानों में विलंब को कम करने के लिए एक अगले कदम के रूप में सभी केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा एक पूर्णतः कागज रहित, एंड-टू-एंड ऑनलाइन ई-बिल सिस्टम को अपनी खरीदों के लिए उपयोग के लिए शुरू किया जाएगा। यह सिस्टम आपूर्तिकर्ताओं और ठेकेदारों को अपने डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित बिलों और दावों को ऑनलाइन प्रस्तुत करने तथा कहीं से भी अपनी स्थिति का पता लगाने के लिए में सक्षम बनाएगा।	**व्यय विभाग** • केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट कार्य मंत्री ने दिनांक 02/03/2022 को केंद्र सरकार के मंत्रालयों के लिए ई-बिल सिस्टम शुरू किया है। इस प्रणाली को शुरुआत में 9 मंत्रालयों/विभागों में शुरू किया गया था और वर्तमान में इसे 46 मंत्रालयों/विभागों में लागू किया गया है।
68.	80	आपूर्तिकर्ताओं और काम के ठेकेदारों के लिए अप्रत्यक्ष लागत को कम करने के लिए, बैंक गारंटी हेतु एक विकल्प के रूप में प्रतिभू बांडों को सरकारी खरीदों में स्वीकार्य बनाएगा। व्यवसाय जैसे स्वर्ण आयात भी इसको उपयोगी पा सकेगे। आईआरडीएआई ने बीमा कंपनियों द्वारा जमानती बांडों को जारी करने के लिए रूपरेखा बनायी है।	**व्यय विभाग** • व्यय विभाग ने ओ.एम.सं. एफ.1/1/2022-पीपीडी दिनांक 02.02.2022 द्वारा यह निर्धारित किया है कि सुरक्षा लिखतों के रूप में बैंक गारंटी के विकल्प के रूप में बीमा ज़मानत बांड भी स्वीकार किए जाएंगे।
69.	81	**एवीजीसी प्रोत्साहन कार्य बल** एनीमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गैमिंग और कॉमिक्स सेक्टर युवाओं को रोजगार के लिए बड़ी संभावना प्रदान करता है। सभी हितधारकों के साथ इस संभावना को प्राप्त करने तथा हमारे बाजारों की और वैश्विक मांग को पूरा करने के लिए घरेलू क्षमता निर्माण के लिए तौर तरीकों की सिफारिश करने के लिए एक एवीजीसी संवर्धन कार्य बल स्थापित किया जाएगा।	**नीति आयोग** • सूचना और प्रसारण मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और खेल विभाग को एक रिपोर्ट सौंपी गई थी। **सूचना और प्रसारण मंत्रालय** • एवीजीसी प्रोसाहन कार्य बल की रिपोर्ट मंत्रालय में प्रस्तुत की जा रही है और इस पर विचार किया जा रहा है।

क्र. सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
70.	82	**दूर संचार क्षेत्र** सामान्य रूप से दूर संचार और विशेष रूप से 5जी प्रौद्योगिकी, संवृद्धि और रोजगार अवसर प्रदान करने में समर्थ बना सकते हैं। निजी दूरसंचार प्रदाताओं द्वारा 2022-23 के भीतर 5जी मोबाइल सेवाओं के आरंभ को सुकर बनाने के लिए 2022 में अपेक्षित स्पेक्ट्रम नीलामियों को निष्पादित किया जाएगा।	**दूरसंचार विभाग** • स्पेक्ट्रम नीलामी 2022 में आयोजित की गई थी। सफल बोलीदाताओं को दिनांक 17.08.2022 को आवंटन संबंधी पत्र जारी किए गए थे।
71.	83	उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के भाग के रूप में 5जी के लिए एक मजबूत पारितंत्र बनाने के लिए डिजाइन आधारित विनिर्माण हेतु एक योजना शुरू की जाएगी।	**दूरसंचार विभाग (डीओटी)** • डीओटी ने दिनांक 20.06.2022 को मौजूदा दिशा-निर्देशों में संशोधन किया है ताकि मौजूदा प्रोत्साहन दरों के अतिरिक्त 1% की अतिरिक्त प्रोत्साहन दरों सहित डिजाइन-आधारित विनिर्माण शुरू किया जा सके। दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पादों के लिए पीएलआई योजना के अंतर्गत मौजूदा कंपनियों को अधिक उत्पाद जोड़ने और डिजाइन-आधारित पीएलआई योजना के अंतर्गत आवेदन करने की अनुमति दी गई थी। उन्हें अपनी 5-वर्षीय पीएलआई योजना अवधि को एक वर्ष तक स्थानांतरित करने का लाभ भी दिया गया।
72.	84	ग्रामीण और दूर-दराज के क्षेत्रों में सस्ते ब्रांडबैंड और मोबाइल सेवा प्रसार को सक्षम बनाने के लिए, वैश्विक सेवा दायित्व निधि के तहत वार्षिक संग्रह के 5 प्रतिशत तक आबंटित किया जाएगा। इससे प्रौद्योगिकियों और समाधानों के अनुसंधान और विकास तथा वाणिज्यकरण को बढ़ावा मिलेगा।	**दूरसंचार विभाग** • योजना शुरू की गई है। दिनांक 1 अक्टूबर, 2022 को दिशा निर्देश जारी किए गए थे। आईटीआर नियम में संशोधन को अधिसूचित कर दिया गया है।

क्र. सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
73.	85	हमारा विजन यह है कि सभी ग्राम और उनके निवासियों को शहरी क्षेत्रों और उनके निवासियों समान में ई-सेवाओं की समान पहुंच संचार सुविधाएं और डिजिटल संसाधन प्राप्त होने चाहिए। दूर-दराज के क्षेत्र सहित सभी ग्रामों में ओप्टिकल फाइबर बिछाने के लिए संविदाएं वर्ष 2022-23 में पीपीपी के माध्यम से भारत नेट परियोजना के तहत सौंपी जाएंगी। यह कार्य 2025 में पूरा हो जाने की संभावना है। ओप्टिकल फाइबर के बेहतर तथा अधिक प्रभावी उपयोग को समर्थ बनाने के लिए उपाय किए जाएंगे।	**दूरसंचार विभाग** • ईएफसी के अनुमोदन के लिए प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है।
74.	86	**निर्यात संवर्धन** विशेष आर्थिक जोन अधिनियम को एक नये विधान से प्रतिस्थापित किया जाएगा जो राज्यों को 'उद्यमों और सर्विस हबों के विकास' में भागीदार बनने के लिए समर्थ बनाएंगे। इसमें उपलब्ध अवसंरचना को इष्टतम रूप से उपयोग करने तथा निर्यातों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए सभी बड़े मौजूदा और नए औद्योगिक एनक्लेव शामिल होंगे।	**वाणिज्य विभाग** • एसईजेड अधिनियम को बदलने के लिए 'उद्यम और सेवा हब (डीईएसएच) विधेयक, 2022 का विकास' का मसौदा तैयार हो गया है। मंत्रिमंडल टिप्पणी को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया चल रही है।

क्र. सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
75.	87	**रक्षा में आत्मनिर्भरता** 87. हमारी सरकार निर्यातों को कम करने और सशस्त्र बलों के लिए उपकरणों में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। पूंजीगत खरीद बजट के 2021-22 में 58 प्रतिशत से बढ़ाकर वर्ष 2022-23 में घरेलू उद्योग के लिए 68 प्रतिशत तक विनिर्दिष्ट किया जाएगा।	**रक्षा उत्पादन विभाग** • वर्तमान वित्त वर्ष में पूंजीगत खरीद बजट का 68% (₹84,597.89 करोड़) घरेलू उद्योग के लिए निर्धारित किया गया है। • 2022-23 में रक्षा उत्पादन पारिस्थितिकी तंत्र में निजी उद्योग, एमएसएमई और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए घरेलू पूंजी खरीद/अधिग्रहण बजट का 25% (₹21,149.47 करोड़) घरेलू निजी उद्योग के लिए निर्धारित किया गया है। • इसके अतिरिक्त, नवाचार को बढ़ावा देने और रक्षा में प्रौद्योगिकी विकास को प्रोत्साहित करने के लिए, घरेलू पूंजीगत खरीद के आवंटन के भीतर आईडीईएक्स स्टार्टअप सहित स्टार्टअप्स से खरीद के लिए ₹1,500 करोड़ निर्धारित किए गए हैं।
76.	88	रक्षा अनुसंधान और विकास कार्य के परिकल्पित रक्षा अनुसंधान और विकास के 25 प्रतिशत बजट के साथ उद्योगों, स्टार्ट-अप और शिक्षा जगत के लिए खोला जाएगा। निजी उद्योगों को एसपीवी मॉडल के माध्यम से डीआरडीओ और अन्य संगठनों के सहयोग से सैन्य प्लेटफार्म और उपकरणों के डिजाइन और विकास निष्पादित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। व्यापक परीक्षण और प्रमाणन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक स्वतंत्र नोडल एकीकृत निकाय स्थापित की जाएगी।	**रक्षा उत्पादन विभाग** • 31 अक्टूबर, 2022 तक शिक्षा और भारतीय उद्योग में अनुसंधान एवं विकास पर ₹1300 करोड़ के आवंटित बजट में से ₹546 करोड़ खर्च किए गए हैं। **रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग** • एसपीवी की स्थापना के लिए मसौदा मंत्रिमंडल टिप्पणी को अंतिम रूप दिया जा रहा है ।

क्र. सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
77.	89	**उदीयमान अवसर** कृत्रिम बुद्धिमत्ता, भू-स्थानिक तंत्र और ड्रोन, सेमीकंडक्टर और इसका पारितंत्र अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था, जेनोमिक्स तथा फार्मासिटिकल्स, ग्रीन एनर्जी, और स्वच्छ आवागमन तंत्रों में बड़े पैमाने पर धारणीय विकास की सहायता करने तथा देश को आधुनिक बनाने की भारी संभावना है। ये युवाओं के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं तथा भारतीय उद्योग जगत को अधिक प्रभावी और प्रतिस्पर्धी बनाते हैं।	**नीति आयोग** • भारत में उभरते क्षेत्रों के लिए प्रस्ताव पत्र विभिन्न मंत्रालयों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श के आधार पर तैयार किया गया है। छह प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की गई है: स्वच्छ गतिशीलता प्रणाली, हरित ऊर्जा, अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था, सेमीकंडक्टर, डिजिटल स्वास्थ्य और भू-स्थानिक प्रणाली, प्रत्येक में नामित नोडल अधिकारी हैं। अगले कदम के रूप में, नोडल अधिकारी समय सीमा और प्रस्तावित कार्रवाई दर्शाने की प्रक्रिया में हैं, जिसे क्षेत्र-विशिष्ट दृष्टि दस्तावेजों के लिए एक कार्यशाला में प्रस्तुत किया जाएगा।
78.	90	सहायक नीतियां, सरल विनियमों, घरेलू क्षमताओं के निर्माण के लिए सुविधापरक कार्यों तथा अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने से सरकार के दृष्टिकोण को दिशा-निर्देशित किया जाएगा। इन उदीयमान अवसरों में अनुसंधान एवं विकास कार्य के लिए, शिक्षा जगत, उद्योग और सार्वजनिक संस्थाओं के बीच सहयोग के प्रयासों के अलावा सरकारी अंशदान प्रदान किया जाएगा।	**इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय** • अनुसंधान एवं विकास नीतियों में उपयोगकर्ता-केंद्रित समाधान, कौशल और क्षमता निर्माण के लिए नए और उभरते प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में परियोजनाओं का समर्थन किया गया है। यह एक सतत गतिविधि है। **अंतरिक्ष विभाग** • विभाग एक व्यापक अंतरिक्ष नीति अर्थात् भारतीय अंतरिक्ष नीति 2022 लाने की प्रक्रिया में है, जो स्पष्ट रूप से डीओएस/इसरो, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र और गैर-सरकारी संस्थाओं की भूमिकाओं को परिभाषित करती है। मसौदे को अंतरिक्ष आयोग द्वारा मंजूरी दे दी गई है और अधिकार प्राप्त प्रौद्योगिकी समूह द्वारा समीक्षा की गई है। इसके अलावा, अंतरिक्ष गतिविधि विधेयक 2022 का मसौदा तैयार किया जा रहा है।

क्र. सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
			नागर विमानन मंत्रालय • ड्रोन नियम और डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म: ड्रोन प्रमाणन, ड्रोन पंजीकरण और ड्रोन स्कूल अनुमोदन प्रक्रियाओं को उदार ड्रोन नियम, 2021 के अनुरूप सुव्यवस्थित किया जा रहा है। ड्रोन पायलट लाइसेंस को खत्म कर दिया गया है। डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म को अधिकांश ड्रोन अनुमतियों और अनुमोदनों के लिए एकल खिड़की समाधान प्रदान करने के लिए विकसित किया गया है। ड्रोन नियम, 2021 के तहत सभी पांच फॉर्म ऑनलाइन कर दिए गए हैं। उभरती आवश्यकताओं और हितधारकों की प्रतिक्रिया के आधार पर अन्य कार्यात्मकताओं को निरंतर आधार पर जोड़ा जाएगा। • क्षेत्रीय परिवहन विमान (आरटीए) और इसके सैन्य संस्करण का विकास: सीएसआईआर, आरटीए के डिजाइन और विकास पर राष्ट्रीय मिशन और टीएमटीए के समवर्ती विकास पर काम कर रहा है। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) और व्यय वित्त समिति के प्रस्ताव तैयार करने के लिए डीएसआईआर द्वारा एक अंतर-मंत्रालयी कार्य बल का गठन किया गया है। वित्त मंत्रालय ने कुछ टिप्पणियों के अध्यधीन आरटीए के विकास पर व्यवहार्यता रिपोर्ट को सैद्धांतिक अनुमोदन से अवगत करा दिया है। सीएसआईआर ने डीपीआर पर कार्रवाई करने के लिए जून 2022 में उप-समितियों का गठन किया। नागर विमानन मंत्रालय द्वारा गठित निगरानी समिति, परियोजना में हुई प्रगति का आकलन कर रही है।

क्र. सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
			नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय • अक्षय ऊर्जा अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास (आरई-आरटीडी) कार्यक्रम, वर्ष 2021-22 से 2025-26 के दौरान कार्यान्वित किया जा रहा है। इसमें सरकारी/गैर-लाभकारी अनुसंधान संगठनों को 100% तक तथा उद्योग, स्टार्ट-अप, निजी संस्थानों, उद्यमियों और विनिर्माण इकाइयों को 50% से 70% तक वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रावधान है। प्रस्ताव मांगे गए थे और प्राप्त प्रस्ताव विचाराधीन हैं। उद्योग-अकादमिक सहयोग और अनुसंधान एवं विकास संस्थानों के प्रस्तावों को प्राथमिकता दी जाती है। **फार्मास्यूटिकल्स विभाग** • फार्मा-मेड-टेक क्षेत्र में आरएंडडी और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए नीति संबंधी कैबिनेट नोट को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया चल रही है। **आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय** • 09 सितंबर 2022 को जल सुरक्षा के लिए सिटी स्टार्ट-अप पार्टनरशिप शिखर सम्मेलन के दौरान 76 शॉर्टलिस्ट किए गए स्टार्ट-अप को ₹5 लाख और प्रशस्ति पत्र के साथ सम्मानित किया गया। 56 शहरों और स्टार्ट-अप के बीच समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। समाधानों को बढ़ाने के लिए चयनित स्टार्ट-अप को 36 शहरों के साथ मैप किया गया है।

क्र. सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
79.	91	**ऊर्जा परिवर्तन और जलवायुपरक कार्य** जलवायु परिवर्तन के जोखिम, सबसे बड़ी बाहरी नकारात्मकताएं हैं जो भारत तथा अन्य देशों को प्रभावित करती हैं। जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने विगत नवम्बर में ग्लासगो में संपन्न हुए कॉप 26 शिखर सम्मेलन में कहा था, "आज किसकी आवश्यकता है यह ध्यान देने योग्य है और अविवेकी तथा विनाशकारी उपभोग की बजाय उपयोग पर विचार करना है"। 'पंचामृत' में यथा प्रतिपादित निम्न कार्बन विकास रणनीति, जो उन्होंने घोषित की, संधारणीय विकास के प्रति हमारी सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता का एक महत्वपूर्ण प्रदर्शन है।	**पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफएंडसीसी)** • एमओईएफ एंड सीसी ने राष्ट्रीय परिस्थितियों और संधारणीय विकास के लिए प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए भारत की "दीर्घकालिक अल्प ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन विकास रणनीतियों" पर एक फ्रेमवर्क दस्तावेज प्रस्तुत किया। यह कार्यनीति, ऊर्जा सुरक्षा, परिवहन क्षेत्र से कम कार्बन उत्सर्जन, इलेक्ट्रिक वाहनों की पहुंच में वृद्धि, यात्री और माल ढुलाई के लिए सार्वजनिक परिवहन में एक मजबूत मॉडल बदलाव, जलवायु-अनुकूल शहरी विकास, आत्मनिर्भर भारत के परिप्रेक्ष्य में मजबूत विकास पथ पर औद्योगिक क्षेत्र आदि के संबंध में राष्ट्रीय संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग पर केंद्रित है। जीवाश्म ईंधन से परिवर्तन, एक न्यायसंगत, सुचारू, टिकाऊ और समावेशी तरीके से किया जाएगा।
80.	93	**सौर ऊर्जा** 2030 तक 280 जीडब्ल्यू की संस्थापित सौर क्षमता के महत्वाकांक्षी लक्ष्य के लिए घरेलू विनिर्माण को सुविधा प्रदान करने के लिए, सौर पीवी मॉड्यूलों के लिए पॉलीसिलीकॉन से पूर्णतः एकीकृत विनिर्माण इकाइयों के लिए प्राथमिकता के साथ उच्च दक्षता मॉड्यूलों के विनिर्माण के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन हेतु ₹19,500 करोड़ का अतिरिक्त आबंटन किया जाएगा।	**नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय** • दिनांक 21.09.2022 के मंत्रिमंडल के अनुमोदन के बाद, एमएनआरई ने ₹19,500 करोड़ के परिव्यय के साथ उच्च दक्षता सौर पीवी मॉड्यूल संबंधी राष्ट्रीय कार्यक्रम पर उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना की किश्त-II के कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देश जारी किए। सोलर पीवी विनिर्माताओं के चयन के लिए भारतीय सौर ऊर्जा निगम द्वारा 18.11.2022 को बोली जारी की गई थी। बोली जमा करने की अंतिम तिथि 09.01.2023 थी। मामला प्रक्रियाधीन है।

क्र. सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
81.	94	**चक्रीय अर्थव्यवस्था** चक्रीय अर्थव्यवस्था परिवर्तन से उत्पादकता बढ़ाने के साथ-साथ नए व्यवसायों और रोजगारों के बड़े अवसर सृजित करने में सहायता करने की संभावना है। 10 सेक्टरों जैसे इलेक्ट्रोनिक अपशिष्ट, उपयोग अवधि समाप्त हो चुके वाहन, प्रयुक्त तेल अपशिष्ट, तथा विषैले और खतरनाक औद्योगिक अपशिष्ट के लिए कार्य योजनाएं तैयार हैं। अब, अवसंरचना, प्रतिलोमी संभारतंत्र, प्रौद्योगिकी उन्नयन और अनौपचारिक क्षेत्र के साथ एकीकरण के महत्वपूर्ण अंतर-क्षेत्रीय मुद्दों के समाधान पर ध्यान दिया जाएगा। इसे विनियमनों, विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व रुपरेखा और नवप्रवर्तनकारी सुविधा को शामिल करते हुए सक्रिय जन नीतियों द्वारा समर्थन दिया जाएगा।	**नीति आयोग** • नीति आयोग ने 10 क्षेत्रों की पहचान की, जिनके नोडल मंत्रालय, क्षेत्र विशिष्ट कार्य बिंदुओं के कार्यान्वयन का नेतृत्व कर रहे हैं, जिन्हें मोटे तौर पर नीति/विनियामक, अवसंरचना, अनौपचारिक क्षेत्र समावेशन, विकासात्मक, अनुसंधान और अध्ययन तथा मानकों में वर्गीकृत किया जा सकता है, जो कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। नीति आयोग ने मात्रा, गुणवत्ता और समयरेखा (क्यूक्यूटी) ढांचे के सृजन के माध्यम से क्षेत्रीय कार्य बिंदुओं की निगरानी का प्रस्ताव दिया। लक्ष्यों और समयसीमा को अंतिम रूप देने के लिए परामर्श किया जा रहा है। • चक्रीय अर्थव्यवस्था की दिशा में परिवर्तनशील राज्यों को राज्य-स्तरीय चक्रीय अर्थव्यवस्था प्रकोष्ठों की स्थापना, रणनीति के विकास, अवसंरचना, प्रतिलोमी संभारतंत्र, सामग्री पुनप्राप्ति सुविधाओं आदि के लिए सहायता की आवश्यकता होगी। चक्रीय अर्थव्यवस्था मिशन, कार्य बिंदुओं के लिए लक्ष्य निर्धारित करके केंद्र-राज्य बातचीत को संस्थागत बनाएगा और जहां भी आवश्यक हो, नीतिगत समर्थन के लिए एक ढांचा प्रदान करेगा। हितधारकों से परामर्श के बाद मिशन दस्तावेज तैयार किया जाएगा। **आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय** • स्वच्छ भारत मिशन-शहरी (एसबीएम-यू 2.0) के दूसरे चरण के तहत, सर्कुलेरिटी के सिद्धांतों को विशेष रूप से संधारणीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और प्रयुक्त जल प्रबंधन पर

क्र. सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
			एक तंत्र बनाने में अंतर्निहित किया गया है। राज्यों/शहरी स्थानीय निकायों के प्रस्तावों को अब मंजूरी दी जा रही है। इसमें अपशिष्ट पुनर्चक्रण, गीले कचरे से बायोगैस/बायो सीएनजी उत्पादन और प्लास्टिक के साथ-साथ सी एंड डी अपशिष्ट के पुनर्चक्रण को प्राथमिकता देना शामिल है। • मंत्रालय ने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी क्षेत्र, विशेष रूप से ठोस और द्रव अपशिष्ट के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर संस्थागत तंत्र को मजबूत करने के लिए एक कार्यनीति दस्तावेज़ तैयार किया है, जिसमें अपशिष्ट जल पुनर्चक्रण और पुन: उपयोग में चक्रीय अर्थव्यवस्था भी शामिल है। • विद्युत प्रशुल्क नीति 2016 के अनुसार, नगरपालिका/स्थानीय निकायों/इसी तरह के संगठन के मलजल शोधन संयंत्र के 50 किमी के दायरे में स्थित सभी ताप विद्युत संयंत्रों को इन निकायों द्वारा उत्पन्न शोधित मल जल का अनिवार्य रूप से उपयोग करने की आवश्यकता है। (एसबीएम-यू 2.0) इस अनुशंसा को पूरा करने में मदद करेगा। राज्यों द्वारा रिपोर्ट किए गए आंकड़ों के आधार पर, अब तक, भारत में 89% वार्ड अपने कचरे को स्रोत पर ही अलग कर रहे हैं। • 2016 में, एमओएचयूए ने निर्माण गतिविधियों में सीएंड डी अपशिष्ट के पुनर्चाक्रित भागों के निर्माण स्थल के 100 किमी के भीतर उपलब्ध होने की स्थिति में अनिवार्य उपयोग पर सीपीडब्ल्यूडी द्वारा एक

क्र. सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
			अधिसूचना परिचालित की थी। इसने यह भी निर्दिष्ट किया कि सी एंड डी अपशिष्ट से प्राप्त पुनर्चक्रित कंक्रीट की मात्रा की मोटे और ठीक किस्मों का उपयोग लीन कंक्रीट, सादे कंक्रीट सीमेंट और निर्माण में उपयोग किए जाने वाले प्रबलित कंक्रीट सीमेंट में किया जाएगा। • अमृत 2.0 में विभिन्न प्रयोजनों हेतु पुन: उपयोग के लिए शोधित जल का 20% और शोधित जल के पुन: उपयोग के माध्यम से 40% औद्योगिक जल की मांग को पूरा करने का प्रस्ताव है। राज्यों की जल कार्य योजनाओं के तहत शोधित जल के पुन: उपयोग की परियोजनाएं शुरू की जा रही हैं। **इस्पात मंत्रालय** • इस्पात मंत्रालय ने नवंबर 2019 में स्टील स्क्रैप पुनर्चक्रण नीति को अधिसूचित किया था, जिसमें विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न लौह स्क्रैप के वैज्ञानिक प्रसंस्करण और पुनर्चक्रण के लिए भारत में धातु स्क्रैपिंग केंद्रों की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए एक रूपरेखा दी गई थी। एमएसटीसी लिमिटेड, एक सीपीएसई, ने महिंद्रा एक्सेलो के साथ संयुक्त उद्यम (जेवी) में एमएसटीसी महिंद्रा रीसाइक्लिंग प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना की है। संयुक्त उद्यम ने ग्रेटर नोएडा, चेन्नई, पुणे, इंदौर, अहमदाबाद और हैदराबाद में छह वाहन स्क्रैपिंग केंद्र स्थापित किए हैं। एमएमआरपीएल ने निकट भविष्य में और अधिक वाहन के स्क्रैपिंग केंद्र स्थापित करने की योजना बनाई है।

क्र. सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
			सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) • पिछले वर्षों में किए गए विभिन्न उपायों के अलावा, 2022 में एमओआरटीएच ने पुराने और अनफिट वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिए निम्नलिखित पहल की हैं: - (i) दिनांक 13.09.2022 को मोटर वाहन (वाहन स्क्रैपिंग सुविधा का पंजीकरण और कार्य) नियम, 2021 में संशोधनों हेतु अंतिम अधिसूचना जारी की गई। (ii) मसौदा अधिसूचना, दिनांक 28.02.2022 जिसमें मोटर वाहन के फिटनेस प्रमाण पत्र और पंजीकरण चिह्न की वैधता को वाहनों पर प्रदर्शित किया जाएगा। इसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। (iii) दिनांक 05.04.2022 को वाहनों की कतिपय श्रेणी के लिए स्वचालित परीक्षण स्टेशनों के माध्यम से फिटनेस परीक्षण को अनिवार्य करने की अंतिम अधिसूचना जारी की गई। (iv) स्वचालित परीक्षण स्टेशनों की मान्यता, विनियमन और नियंत्रण संबंधी नियमों में संशोधनों के संबंध में अंतिम अधिसूचना दिनांक 31.10.2022 को जारी की गई। (v) पन्द्रह वर्ष बीत जाने के बाद शासकीय वाहनों के पंजीयन प्रमाण पत्र का नवीनीकरण न कराने का प्रावधान करने संबंधी प्रारूप अधिसूचना, दिनांक 24.11.2022 को जारी की गई। इसे अंतिम रूप दिया जा रहा है।

क्र. सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
			भारी उद्योग मंत्रालय • भारी उद्योग मंत्रालय, वाहन स्क्रैपिंग नीति पर एमओआरटीएच की पहल का समर्थन कर रहा है तथा एसआईएएम और एसीएमए को वर्तमान अंतराल की पहचान करने और नियामक ढांचा बनाने के लिए अपेक्षित आगे की कार्रवाई करने के लिए कहा है। **इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय** • दुर्लभ पृथ्वी धातु निष्कर्षण के लिए एक कार्य समूह का गठन किया गया है। ई-अपशिष्ट प्रबंधन के लिए कौशल को निखारा जा रहा है। भंजन/पृथक्करण के लिए अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है। यह एक सतत गतिविधि है। स्पेक्स योजना के तहत ई-अपशिष्ट पुनर्चक्रण सुविधा को शामिल करने संबंधी अधिसूचना 03.03.2022 को जारी की गई थी। **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफएंडसीसी)** • एमओईएफएंडसीसी, टायर और रबर के लिए चक्रीय अर्थव्यवस्था कार्य योजना के लिए नोडल मंत्रालय है। अपशिष्ट टायर के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) पर अधिसूचना 21 जुलाई 2022 को प्रकाशित हुई थी। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के तहत प्लास्टिक पैकेजिंग के लिए ईपीआर संबंधी दिशानिर्देश 16 फरवरी 2022 को अधिसूचित किए गए थे। बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2022, जिसमें सभी प्रकार की बैटरियों के लिए ईपीआर कार्य ढांचा शामिल है, को 24 अगस्त, 2022 को अधिसूचित किया गया था।

क्र. सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
			• ईपीआर को व्यापक और व्यावहारिक बनाने के लिए मसौदा ई-अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2022 19.05.2022 को जनता और हितधारकों से टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए प्रकाशित किये गए थे। **उर्वरक विभाग** • उर्वरक विभाग ने अपनी पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) योजना के तहत शीरे से प्राप्त पोटाश को शामिल किया है। फॉस्फोरिक एसिड के उत्पादन में एक उप-उत्पाद फॉस्फो-जिप्सम का उपयोग सीमेंट उद्योग में किया गया है, और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और एनएचएआई के परामर्श से सड़कों के निर्माण में इसका उपयोग मृदा कंडीशनर के रूप में, करने की संभावना की भी जांच की जा रही है। एनबीएस स्कीम के अंतर्गत अधिसूचित पीएण्डके उर्वरकों के जिंक फोर्टिफिकेशन पर विभाग द्वारा ₹500 प्रति मीट्रिक टन की सब्सिडी दी जाती है। **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय** • उक्त कार्य योजना के क्रियान्वयन के लिए रि-रिफाइनर्स के पास उपलब्ध प्रौद्योगिकियों का अध्ययन करने और उपयुक्त प्रौद्योगिकी की पहचान करने के लिए एक समिति का गठन किया गया था। समिति की रिपोर्ट, टिप्पणियों के लिए नीति आयोग के साथ साझा की गई है। • पीएसयू ओएमसीएस ने अपने फॉर्मूलेशन में पुनर्चक्रित बेस ऑयल का उपयोग करना शुरू कर दिया है। आईओसीएल ने पिछले साल खुदरा क्षेत्र में 25% पुनर्चक्रित बेस ऑयल के साथ मिश्रित दो लुब्रिकेंट ग्रेड लॉन्च किए। एचपीसीएल ने मई 2022 में 30% रि-

क्र. सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
			रिफाइंड तेल के साथ ईएनकेएलओ 68 ग्रीन लॉन्च किया। बीपीसीएल का उत्पाद विकास कार्य, बीएस VI वाणिज्यिक वाहनों के लिए हैवी ड्यूटी डीजल इंजन तेल, तिपहिया वाहनों के लिए डीजल इंजन तेल और यात्री कार इंजन तेल के लिए पूरा हो गया है।
82.	95	**कार्बन निष्प्रभावी अर्थव्यवस्था में संक्रमण** 5 से 7 प्रतिशत बायोमास पेलेट को थर्मल पावर प्लांटों में जलाया जाएगा जिससे प्रतिवर्ष 38 एमएमटी कार्बन डाई ऑक्साइड की बचत होगी। इससे किसानों को अतिरिक्त आय होगी और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे और हम खेतों में पराली को जलाने से भी बच जाएंगे।	**विद्युत मंत्रालय** • 38 एमएमटी सीओ 2 बचत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए थर्मल पावर प्लांट्स में सालाना 5% की दर से लगभग 31 एमएमटी बायोमास छर्रों की आवश्यकता होती है। नवंबर 2022 में, बायोमास का कुल उपयोग 1590 मीट्रिक टन है। 30.11.2022 तक, नवंबर 2019 से टीपीपी में बायोमास का कुल संचयी उपयोग 85,477 मीट्रिक टन है। अब तक, 39 टीपीपी ने देश भर में कोयले के साथ सह-फायरिंग में बायोमास का उपयोग करना शुरू कर दिया है।
83.	96	ऊर्जा की बचत ऊर्जा प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। अतः ऊर्जा ईफिशियन्सी तथा बचत उपायों को बढ़ावा दिया जाएगा। इसे बड़े वाणिज्यिक भवनों में ऊर्जा सेवा कंपनी कार्य मॉडल के माध्यम से किया जाएगा। यह क्षमता निर्माण और एनर्जी ऑडिट के लिए जारूगता, कार्यनिष्पादन संविदा तथा सामान्य माप एवं सत्यापन प्रोटोकाल के लिए सुविधा उपलब्ध कराएगा।	**विद्युत मंत्रालय** • ईएससीओ मार्ग के माध्यम से ऊर्जा बचत परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए निवेश ग्रेड ऊर्जा लेखापरीक्षा (आईजीईए) करने के लिए 91 वाणिज्यिक भवनों की पहचान की गई है। 44 भवनों के लिए जारी कार्यादेश के साथ तीन चरणों में 57 भवनों में आईजीईए संचालित करने के लिए एजेंसियों को किराए पर लेने के लिए निविदा प्रकाशित की गई थी। चरण-1 के तहत आईजीईए की 11 रिपोर्ट को अंतिम रूप दे दिया गया है। 25 भवनों में आईजीईए (चरण- I और चरण II) के लिए मसौदा रिपोर्ट एजेंसियों से प्राप्त हुई हैं। मामले की आगे की कार्रवाई की जा रही है।

क्र. सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
84.	97	उद्योग के लिए कॉल गैसीफिकेशन तथा कोयले को रसायन में परिवर्तित करने हेतु 4 प्रायोगिक परियोजनाएं स्थापित की जाएंगी, जो तकनीकी तथा वित्तीय रूप से व्यवहार्य होगीं।	**कोयला मंत्रालय** पांच परियोजनाओं की पहचान की गई है, जिनकी स्थिति निम्नानुसार है: • 2 परियोजनाओं (ईसीएल और एसईसीएल) में कोई बोली प्राप्त नहीं हुई। • सीआईएल ने 2 निविदाओं में गैर-प्रतिक्रिया के कारण एससीजी परियोजनाओं के लिए दो जेवी बनाने के लिए आईओसीएल और गेल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। • एक परियोजना (डब्ल्यूसीएल) में बीओओ प्रोसेसर के चयन के लिए दिनांक 03.08.2022 को निविदा जारी की गई थी; बोली खोलने की तारीख को बदलकर 14.12.2022 कर दिया गया। • सीसीएल/एमसीएल में उच्च राख कोयला गैसीकरण परियोजना में पीडीआईएल को परियोजना पर निर्णय लेने के लिए सीआईएल के पास पीएफआर जमा करना है। सीआईएल ने इस परियोजना को जेवी मार्ग के माध्यम से लेने के लिए 12.10.2022 को भेल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। • एनएलसीआईएल लिग्नाइट से मेथनॉल परियोजना पर भी काम कर रहा है। निविदा 22 अक्टूबर, 2022 को जारी की गई थी।
85.	98	कृषि वानिकी तथा निजी वानिकी को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत तथा अपेक्षित विधायी परिवर्तन किए जाएंगे। इसके अलावा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति, जो कृषि वानिकी करना चाहे, के किसानों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जाएगी।	**पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफएंडसीसी)** • अन्य बातों के साथ-साथ वनों/कृषि-वानिकी के बाहर पेड़ों से संबंधित मुद्दों का समाधान करने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया गया था। टास्क फोर्स की रिपोर्ट को अंतिम रूप दे दिया गया है। एमओईएफएंडसीसी ने भारत

क्र. सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
			सरकार (एओबी) नियम 1961 के तहत कृषि और किसान कल्याण विभाग से कृषि-वानिकी विषय इस मंत्रालय को हस्तांतरित करने के लिए एक प्रस्ताव शुरू किया है।
86.	103	**ग्रीन बांड** 2022-23 में सरकार द्वारा ली जाने वाली सभी बाजार उधारियों के सिलेसिले में सॉवरेन ग्रीन बांड्स जारी किए जाएंगे जिनसे हरित अवसंरचना के लिए संसाधन जुटाए जाएंगे। इससे प्राप्त धन को सार्वजनिक क्षेत्र की ऐसी परियोजनाओं में लगाया जाएगा जो अर्थव्यवस्था में कार्बन इनटेन्सिटी को कम करने में सहायका हों।	**आर्थिक कार्य विभाग** • भारत सरकार ने सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड (एसजीआरबी) फ्रेमवर्क जारी किया है, जिसमें एसजीआरबी आय के उपयोग, परियोजना मूल्यांकन और चयन की प्रक्रिया, आय के प्रबंधन, रिपोर्टिंग, आदि के बारे में सिद्धांतों का विवरण दिया गया है। केंद्रीय बजट में एसजीआरबी के माध्यम से वित्त पोषित की जाने वाली योजनाओं / परियोजनाओं को पहचाना गया। भारत सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से 2022-23 में 16,000 करोड़ की कुल राशि के लिए एसजीआरबी जारी करने के लिए सांकेतिक कैलेंडर अधिसूचित किया है।
87.	104	**जीआईएफटी-आईएफएससी** विश्वस्तरीय विदेशी विश्वविद्यालयों और संस्थानों को जीआईएफटी शहरों में वित्तीय प्रबंधन, फिनटेक, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित में अपने पाठ्यक्रम चलाने की अनुमति दी जाएगी और केवल आईएफएससीए द्वारा चलाए जाने वाले पाठ्यक्रमों को छोड़कर इन्हें घरेलू विनियमों से मुक्त रखा जाएगा। इससे सेवाओं और प्रौद्योगिकी के लिए उच्च स्तर के मानव संसाधन उपलब्ध कराए जा सकेंगे।	**आर्थिक कार्य विभाग** • आईएफएससीए अधिनियम 2019 की धारा 3 के तहत अधिसूचना जारी करके बुनियादी वैधानिक ढांचा तैयार किया गया है, जो आईएफएससीए को जीआईएफटी-आईएफएससी में विदेशी विश्वविद्यालयों/ संस्थानों द्वारा पेश किए जाने वाले चुनिंदा पाठ्यक्रमों को विनियमित करने का अधिकार देता है। ऐसे विश्वविद्यालयों/संस्थानों के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अधिनियम 1987 के प्रावधानों को लागू नहीं करने के लिए आईएफएससीए

क्र. सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
			अधिनियम की धारा 31 के तहत आगे की मसौदा अधिसूचना अनुमोदन के लिए संसद में पेश की गई है। जीआईएफटी-आईएफएससीए में विदेशी विश्वविद्यालयों/संस्थानों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शाखा परिसरों और अपतटीय शिक्षा केंद्रों की स्थापना और संचालन के लिए व्यापक नियमों को व्यापक सार्वजनिक परामर्श के बाद आईएफएससीए द्वारा 12 अक्टूबर, 2022 को अधिसूचित किया गया है। तदनुसार, इच्छुक विश्वविद्यालयों/संस्थानों के प्रस्तावों का मूल्यांकन करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है.
88.	105	जीआईएफटी शहरों में अंतरराष्ट्रीय विवाचन केंद्र की स्थापना की जाएगी जिससे अंतरराष्ट्रीय न्यायशास्त्र के अनुसार विवादों का समय पर समाधान किया जा सकेगा।	**आर्थिक कार्य विभाग (आकावि)** • आर्थिक कार्य विभाग आईएफएससीए और विधि कार्य विभाग के परामर्श से आईएफएससीए अधिनियम में ही आईएफएससी में मध्यस्थता और विवाद समाधान से संबंधित मूल प्रावधानों को शामिल करने/संशोधित करने के लिए एक संशोधन विधेयक का मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया में है।
89.	106	देश में सतत् एवं क्लाइमेंट फाइनेंस के लिए वैश्विक पूंजी जुटाने के लिए आवश्यक सेवाएं जीएफआईटी शहरों में दी जाएंगी।	**आर्थिक कार्य विभाग** • आईएफएससीए ने आर्थिक कार्य विभाग के परामर्श से व्यापक लिस्टिंग विनियमों और फंड प्रबंधन विनियमों को अधिसूचित किया है, जिसमें आईएफएससी में सतत वित्त के लिए पर्यावरण, सामाजिक, शासन (ईएसजी) लेबल वाले इश्युन्सेज और फंड प्रबंधन गतिविधियों को सक्षम करने के लिए समर्पित प्रावधान हैं। आईएफएससीए ने आईएफएससी

क्र. सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
			बैंकिंग इकाइयों और वित्त कंपनियों के लिए "सस्टेनेबल लेंडिंग फ्रेमवर्क" भी अधिसूचित किया है ताकि बैंकिंग/वित्तीय क्षेत्र द्वारा स्थायी क्षेत्रों को ऋण देने को प्रोत्साहित किया जा सके। इसके अलावा, ईएसजी संबंधित उत्पादों की विभिन्न श्रेणियों जैसे ग्रीन बॉन्ड, सोशल बॉन्ड, सस्टेनेबल बॉन्ड, कार्बन क्रेडिट, ग्रीन इक्विटी, ग्रीन और टिकाऊ आरईआईटी की लिस्टिंग के लिए एक समर्पित प्लेटफॉर्म, जिसे इंटरनेशनल सस्टेनेबिलिटी प्लेटफॉर्म के रूप में जाना जाता है, एनएसई-आईएफएससी एक्सचेंज द्वारा 29 जुलाई, 2022 को लॉन्च किया गया है। इन विकासों के साथ, जीआईएफटी- आईएफएससीए पारिस्थितिकी तंत्र को सतत और क्लाइमेट फाइनेंस के लिए वैश्विक पूंजी का केंद्र बनने में सक्षम करने की रूपरेखा अब तैयार हो गई है।
90.	107	**अवसंरचना की स्थिति** डेंस चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर और ग्रिड स्केल बैट्री सिस्टम वाले डाटा सेंटर्स और एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स को अवसंरचनाओं की हार्मोनाइज्ड लिस्ट में शामिल किया जाएगा, इससे डिजिटल अवसंरचना और स्वच्छ ऊर्जा भण्डारण के लिए क्रेडिट सुलभ हो सकेगा।	**आर्थिक कार्य विभाग** • दिनांक 11.10.2022 की अधिसूचना के तहत डाटा सेंटर और एनर्जी स्टोरेज सिस्टम को इन्फ्रास्ट्रक्चर उप-क्षेत्रों की सुसंगत मास्टर सूची में शामिल किया गया है।
91.	108	**उद्यम पूंजी और निजी इक्विटी निवेश** उद्यम पूंजी और निजी ईक्विटी ने पिछले साल ₹5.5 लाख करोड़ से अधिक का निवेश किया था जिससे स्टार्ट-अप और विकास के एक बहुत बड़े इको-सिस्टम का मार्ग प्रशस्त हुआ। इस प्रकार के	**आर्थिक कार्य विभाग** • 09.09.2022 को विनियामक और अन्य नियमों की जांच करने और उद्यम पूंजी और निजी इक्विटी द्वारा निवेश को सुविधाजनक बनाने/बढ़ाने के उपायों की सिफारिश करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया

क्र. सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
		निवेश को बढ़ाने के लिए इनके विनियामकों और अन्य प्रकार की बाधाओं की समग्र रूप से जांच परख किए जाने की जरूरत है। इसके लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया जाएगा जो इस तरह की जांचपरख करके उचित उपाय सुझाएगी।	गया था। विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है और उसका परीक्षण किया जा रहा है।
92.	109	**सम्मिश्रित वित्त** सरकार के द्वारा सहायता प्राप्त फंड्स एनआईआईएफ और फंड्स के 'सिडबी' फंड से अत्यधिक पूंजी प्राप्त हुई है जिसके बहुआयामी प्रभाव देखने में आए हैं। प्रमुख उदीयमान क्षेत्रों जैसे कि क्लाइमेट एक्शन, डीपटेक, डिजिटल इकोनॉमी, फार्मा और एग्रीटेक को बढ़ावा देने के लिए सरकार सम्मिश्रित वित्तपोषण के लिए विषयपरक धन उपलब्ध कराएगी। जिसमें सरकार का हिस्सा 20 प्रतिशत तक सीमित होगा और कोष का प्रबंधन निजी कोष प्रबंधकों के द्वारा किया जाएगा।	**आर्थिक कार्य विभाग** • बजट घोषणा को लागू करने के तरीके पर विभाग द्वारा संबंधित मंत्रालयों के सचिवों के समूह के साथ चर्चा की गई। उदीयमान क्षेत्रों के लिए विषयपरक निधियों के निर्माण को सक्षम करने के लिए व्यय वित्त समिति द्वारा विचार और अनुमोदन के लिए एक मसौदा ज्ञापन और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई है।
93.	110	**अवसंरचनात्मक परियोजनाओं की वित्तीय अर्थक्षमता** अवसंरचना की जरूरतों के वित्तपोषण के लिए यह जरूरी है कि सरकारी निवेश में बड़े पैमाने पर निजी पूंजी भी मिलायी जाए। सरकारी निजी भागीदारी वाली परियोजनाओं के साथ-साथ दूसरी परियोजनाओं की वित्तीय संभावनाओं को बढ़ाने के लिए बहुपक्षीय एजेंसियों से तकनीकी और ज्ञानपरक सहायता प्राप्त	**आर्थिक कार्य विभाग** • अवसंरचना नीति, वित्त और विकास पारिस्थितिकी तंत्र को प्रोत्साहित करने के लिए आर्थिक कार्य विभाग के तहत अवसंरचना वित्त सचिवालय की स्थापना की गई है। • द्विपक्षीय/बहुपक्षीय एजेंसियों के पेशेवरों को परियोजना के विकास और परियोजनाओं की बढ़ती व्यवहार्यता का समर्थन करने के लिए तैनात किया जाता है।

क्र. सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
		करने के साथ-साथ आवश्यक उपाय किए जाएंगे। इनकी वित्तीय संभावना को बढ़ाने के लिए विश्व के सर्वोत्तम तरीकों को अपनाना होगा, वित्तपोषण के नए रास्ते अपनाने होंगे तथा संतुलित जोखिमपरक आबंटन किया जाना होगा।	• वित्तीय रूप से व्यवहार्य पीपीपी परियोजनाओं की संरचना के लिए परियोजना प्रायोजक प्राधिकरणों को सहायता प्रदान करने के लिए लेन-देन सलाहकारों को सूचीबद्ध किया गया है। • व्यवहार्य पीपीपी परियोजनाओं की एक शेल्फ बनाने के लिए आईआईपीडीएफ योजना शुरू की गई है। • ढांचागत परियोजनाओं को शुरू करने में परियोजना प्राधिकारियों के सामने आने वाली समस्याओं को समझने और व्यवहारिक सहायता प्रदान करने के लिए राज्यों के साथ आउटरीच का आयोजन किया गया है। • केंद्र और राज्यों के 450+ वरिष्ठ अधिकारियों के लिए क्षमता निर्माण प्रशिक्षण आयोजित किया गया है।
94.	111	**डिजिटल रुपया** सैंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (सीबीडीसी) को चालू करने से डिजिटल अर्थव्यवस्था को बहुत अधिक बढ़ावा मिलेगा। डिजिटल करेंसी से एक और अधिक दक्ष और सस्ती करेंसी प्रबंधन व्यवस्था देखने में आएगी। इसलिए ब्लाक चेन और अन्य प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके डिजिटल रुपए को चालू करने का विचार है जिसे भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी किया जाना है और इसकी शुरूआत **2022-23** से होनी है।	**आर्थिक कार्य विभाग** • आरबीआई प्रायोगिक तौर पर थोक और खुदरा दोनों क्षेत्रों में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (सीबीडीसी) के चरणबद्ध कार्यान्वयन की दिशा में सक्रिय रूप से काम कर रहा है। डिजिटल रुपी - होलसेल सेगमेंट (e₹-W) में पहला पायलट 1 नवंबर, 2022 को सरकारी प्रतिभूतियों में द्वितीयक बाजार लेनदेन के उपयोग के मामले में और नौ बैंकों की भागीदारी के साथ शुरू किया गया था। खुदरा डिजिटल रुपये (e₹-R) का पहला पायलट 01 दिसंबर, 2022 को शुरू किया गया था, जिसमें बंद उपयोगकर्ता समूह में चुनिंदा स्थानों को शामिल किया गया था, जिसमें भाग लेने वाले ग्राहक और व्यापारी शामिल थे और शुरू में चार बैंकों की भागीदारी थी।

क्र. सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
			आरबीआई ने अक्टूबर, 2022 में सीबीडीसी पर एक कॉन्सेप्ट नोट भी जारी किया है, जिसमें सीबीडीसी जारी करने के उद्देश्यों, विकल्पों, लाभों और जोखिमों के बारे में बताया गया है।
95.	113	वर्ष 2022-23 के लिए अर्थव्यवस्था में सभी निवेशों को प्रेरित करने के लिए राज्यों की मदद करने हेतु ₹1 लाख करोड़ का आवंटन किया गया है। ये पचास वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण राज्यों को दिए जाने वाले सामान्य कर्ज के अलावा हैं।	**व्यय विभाग** • व्यय विभाग ने दिनांक 06.04.2022 के पत्र के तहत 2022-23 के लिए पूंजी निवेश हेतु राज्यों को विशेष सहायता योजना के लिए दिशा-निर्देश जारी किए। योजना के तहत 2022-23 के लिए ₹1.05 लाख करोड़ की राशि आवंटित की गई है, जिसके सात भाग इस प्रकार हैं:- भाग-I: 15वें वित्त आयोग के अधिनिर्णय के अनुसार केन्द्रीय करों और शुल्कों में राज्यों के हिस्से के अनुपात में ₹80,000 करोड़ राज्यों में आबंटित किए गए हैं। पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान में शामिल परियोजनाओं को जहां भी उचित हो प्राथमिकता दी जाएगी। भाग-II (पीएम गति शक्ति से संबंधित खर्च): इस भाग के लिए ₹5,000 करोड़ निर्धारित किए गए हैं। योजना के अन्य भागों के अंतर्गत बचत से अतिरिक्त राशि भी राज्यों की प्रतिक्रिया और निधियों के उपयोग के आधार पर स्कीम के इस भाग में अन्तरित की जा सकती है। भाग-III (पीएमजीएसवाई): योजना के भाग-III के तहत राज्यों के हिस्से के लिए सहायता सहित पीएम ग्राम सड़क योजना

क्र. सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
			(पीएमजीएसवाई) के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए पूरक वित्तपोषण हेतु ₹4,000 करोड़ निर्धारित किए गए हैं। भाग-IV (डिजिटलीकरण के लिए प्रोत्साहन): इस योजना के लिए ₹2,000 करोड़ निर्धारित किए गए हैं। इस भाग के तहत एक राज्य को उपलब्ध अधिकतम राशि 'पहले आओ पहले पाओ' के आधार पर ₹200 करोड़ होगी। भाग-V (ऑप्टिकल फाइबर केबल): योजना के इस भाग के लिए ₹3,000 करोड़ निर्धारित किए गए हैं। यह राशि ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क पर पूंजीगत परियोजनाओं के लिए राज्यों को उपलब्ध होगी। इस भाग के अंतर्गत किसी राज्य को उपलब्ध प्रोत्साहन की अधिकतम राशि 'पहले आओ पहले पाओ' के आधार पर ₹300 करोड़ है। भाग-VI (शहरी सुधार): इस भाग के लिए ₹6,000 करोड़ निर्धारित किए गए हैं। यह राशि राज्यों को भवन उपनियमों, नगर नियोजन योजनाओं, पारगमन उन्मुख विकास और अन्तरणीय विकास अधिकारों से संबंधित सुधारों के लिए प्रोत्साहन के रूप में उपलब्ध होगी। प्रोत्साहन राशि 'पहले आओ पहले पाओ' के आधार पर प्रदान की जाएगी। भाग-VII (विनिवेश और मुद्रीकरण): राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के निजीकरण/विनिवेश और आस्तियां के

क्र. सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
			मुद्रीकरण/पुनर्चक्रण के लिए राज्य सरकारों को प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु इस भाग के लिए ₹5,000 करोड़ आबंटित किए गए हैं। इस भाग के अंतर्गत, राज्यों को योजना के अन्य भागों के अंतर्गत उनके आबंटन/प्रोत्साहनों के अतिरिक्त 50 वर्ष के ब्याज मुक्त ऋण के रूप में अतिरिक्त निधियां प्रदान की जाएंगी।
96.	114	इस आबंटन का प्रयोग पीएम गतिशक्ति से जुड़े निवेशों और राज्यों के अन्य उत्पादपरक पूंजी निवेश में किया जाएगा इसमें निम्नलिखित से संबंधित घटक भी शामिल होंगेः • प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के प्राथमिकता वाले हिस्से के लिए पूरक वित्तपोषण जिसमें राज्यों के हिस्से के लिए सहायता भी शामिल है, • अर्थव्यवस्था का डिजिटलीकरण जिसमें डिजिटल पेमेंट और ओएफसी नेटवर्क को पूरा किए जाने की बात भी शामिल है, और • भवन संबंधी उपनियमों, नगर नियोजन योजनाओं, पारगमन उन्नमुख (ट्रांजिट ओरिएंटेड) विकास और अंतरणीय विकास अधिकार से संबंधित सुधार।	**व्यय विभाग** • व्यय विभाग ने दिनांक 06.04.2022 के पत्र के माध्यम से 2022-23 के लिए पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना के लिए दिशानिर्देश जारी किए। 2022-23 के लिए इस योजना के तहत ₹1.05 लाख करोड़ की राशि आवंटित की गई है, जिसमें सात भाग निम्नानुसार हैं: - भाग-I: 15वें वित्त आयोग के अधिनिर्णय के अनुसार केन्द्रीय करों और शुल्कों में राज्यों के हिस्से के अनुपात में ₹80,000 करोड़ आबंटित किए गए हैं। पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान में शामिल परियोजनाओं को जहां भी उचित हो प्राथमिकता दी जाएगी। भाग-II (पीएम गति शक्ति से संबंधित खर्च): इस भाग के लिए ₹5,000 करोड़ निर्धारित किए गए हैं। योजना के अन्य भागों के अंतर्गत बचत से अतिरिक्त राशि भी राज्यों की प्रतिक्रिया और निधियों के उपयोग के आधार पर योजना के इस भाग में अन्तरित की जा सकती है।

क्र. सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
			भाग-III (पीएमजीएसवाई): राज्यों के हिस्से के लिए सहायता सहित पीएम ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के प्राथमिकता वाले खंडों के पूरक वित्तपोषण के लिए योजना के भाग-III के तहत ₹4,000 करोड़ निर्धारित किए गए हैं। भाग-IV (डिजिटलीकरण के लिए प्रोत्साहन): इस योजना के लिए ₹2,000 करोड़ निर्धारित किए गए हैं। इस भाग के तहत एक राज्य को उपलब्ध अधिकतम राशि 'पहले आओ पहले पाओ' के आधार पर ₹200 करोड़ होगी। भाग-V (ऑप्टिकल फाइबर केबल): योजना के इस भाग के लिए ₹3,000 करोड़ निर्धारित किए गए हैं। यह राशि ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क पर पूंजीगत परियोजनाओं के लिए राज्यों को उपलब्ध होगी। इस भाग के तहत एक राज्य को उपलब्ध प्रोत्साहन राशि 'पहले आओ पहले पाओ' के आधार पर ₹300 करोड़ है। भाग-VI (शहरी सुधार): इस भाग के लिए ₹6,000 करोड़ निर्धारित किए गए हैं। यह राशि राज्यों को भवन उपनियमों, नगर नियोजन योजनाओं, पारगमन उन्मुख विकास और अन्तरणीय विकास अधिकारों से संबंधित सुधारों के लिए प्रोत्साहन के रूप में उपलब्ध होगी। प्रोत्साहन राशि 'पहले आओ पहले पाओ' के आधार पर प्रदान की जाएगी।

क्र. सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
			भाग-VII (विनिवेश और मुद्रीकरण): राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के निजीकरण/विनिवेश और आस्तियों के मुद्रीकरण/पुनर्चक्रण के लिए राज्य सरकारों को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए इस भाग के लिए ₹5,000 करोड़ आबंटित किए गए हैं। इस भाग के अंतर्गत, राज्यों को योजना के अन्य भागों के अंतर्गत उनके आबंटन/प्रोत्साहनों के अतिरिक्त 50 वर्ष के ब्याज मुक्त ऋण के रूप में अतिरिक्त निधियां प्रदान की जाएंगी। **ग्रामीण विकास विभाग** • वित्त मंत्रालय ने दिनांक 22.11.2022 को आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तेलंगाना राज्यों को आरसीपीएलडब्ल्यूईए (वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों की सड़क संपर्क परियोजना)/पीएमजीएसवाई-III कार्यों के लिए राज्य के हिस्से की देयता के लिए ₹1615.5312 करोड़ मंजूरी आदेश जारी किए हैं। **इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय** • विशिष्ट क्षेत्रों में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने सहित अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण की दिशा में संबंधित मंत्रालयों और राज्यों के परामर्श से उपयुक्त दिशानिर्देश/तंत्र/सुधार/प्रक्रियाएं तैयार की जाएंगी।

क्र. सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
			दूरसंचार विभाग • पूंजी निवेश 2022-23 के लिए राज्यों को विशेष सहायता की योजना के भाग V के लिए कुल ₹3000 करोड़ निर्धारित किए गए हैं। यह राशि ऑप्टिकल फाइबर केबल पर पूंजीगत परियोजनाओं के लिए राज्यों को उपलब्ध होगी। • अब तक इस भाग के अंतर्गत राज्य सरकारों के 26 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। जांच के बाद, व्यय विभाग को ₹2823 करोड़ की राशि के राज्य सरकारों के 25 प्रस्तावों की सिफारिश की गई थी। बिहार को प्रस्ताव फिर से प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। तेलंगाना, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर 20 राज्यों के संबंध में ₹2265 करोड़ की परियोजनाओं के लिए अनुमोदन प्राप्त हो गया है।
97.	115	वर्ष 2022-23 में 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्यों को जीएसडीपी के 4 प्रतिशत तक के राजकोषीय घाटे की अनुमति होगी जिसमें से 0.5 प्रतिशत विद्युत क्षेत्र सुधार से संबंधित होंगे। इसके लिए शर्तों को पहले ही 2021-22 में बता दिया गया है।	**व्यय विभाग** • इस संबंध में दिशा-निर्देश 31.03.2022 को जारी किए गए हैं।

*****